Saturday, 08 April, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

(Fourth Lok Sabha)

Preservation Unit
Fumigated
04.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. II contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का शुद्धि

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

शनिवार , 8 अप्रैल, 1967 । 18 चैत्र , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(i)	पंक्ति 20 में `विशेषाधिकार के प्रश्न `के स्थान पर `सदस्य को गिरफ्तारी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न ` पढ़िये । इसी प्रकार अंग्रेजी शीर्षक में 'Question of Privilege ' के स्थान पर ' Question of Privilege re: arrest of Member' पढ़िये ।
1457	पंक्ति 18 `विशेषाधिकार का प्रश्न के स्थान पर `सदस्य को गिरफ्तारी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न `पढ़िये । पंक्ति 19 में 'Question of privilege ' के स्थान पर 'Question of Privilege re: arrest of Member' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, शनिवार, 8 अप्रैल, 1967/18 चैत्र, 1889 (शक)
No. 17, Saturday, April 8, 1967/Chaitra 18, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
9. गिरिडीह कोयला खानों में कोयला खानों का परित्याग	Abandoning of Coal Mines in Giridih Collieries ..	1439—1447
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा अल्पसूचना प्रश्नों के बारे में (प्रक्रिया)	Re : Calling Attention Notices and Short Notice Questions (Procedure) ..	1447—1451
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
एड इंडिया कन्सोर्शियम द्वारा भारत की सहायता के बारे में निश्चय	Decision re. aid to India by Aid India Consortium ..	1451—1457
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri Devki Nandan Patodia ..	1451
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji D ai ..	1451—1455 1456, 1457
पंजाब तथा राजस्थान की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Punjab and Rajasthan ..	1457
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ..	1457—1459
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1459—1460
राष्ट्रपति का संन्देश	Message from the President ..	1460
वित्त विधेयक, 1967	Finance Bill, 1967 ..	1460—1466, 1468—1477

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	1460
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	..	1460—1462
श्री पिल्लू मोडी	Shri Pillo Mody	..	1462—1463
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	..	1463—1464
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	..	1464—1465
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	..	1465, 1468—1469
श्री पी० सी० अदिचन	Shri P. C. Adichan	..	1469—1471
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	..	1471—1472
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	..	1472
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	..	1472—1473
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	..	1473—1474
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	..	1474
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikantamma	..	1474
श्री कार्तिक ओराओं	Shri Kartik Oraon	..	1474—1475
खण्ड 2 से 5 तथा 1	Clauses 2 to 5 and 1	..	1476
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	1477
प्रधान मंत्री को दिये गये उपहार के बारे में वक्तव्य	Statement re. Gift presented to Prime Minister	..	1466—1468
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	..	1466
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	..	1466, 1467
अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Amendment) Bill	..	1477—1492
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	..	1477
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	..	1477—1480, 1489—1490
श्री एन० के० सोमानी	Shri N. K. Somani	..	1480—1481
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwarlal Gupta	..	1481—1482
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	..	1482
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	..	1482—1484
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	..	1484
श्री राने	Shri Rane	..	1485

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	1485—1486
श्री के० जी० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	..	1486
श्री उमानाथ	Shri Umanath	..	1486—1487
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	..	1487—1488
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	..	1488—1489
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	..	1489
खण्ड 2 से 5 तथा 1	Clauses 2 to 5 and 1	..	1491
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	..	1492
जम्मू तथा काश्मीर राज्य में नामांकन पत्रों के रद्द किये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re. Half-an-Hour Discussion re : Rejection of the Nomination Papers in Jammu and Kashmir State	..	1492

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 8 अप्रैल, 1967/18 चैत्र, 1889 (शक)
Saturday, April 8, 1967/ Chaitra 18, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri Yashpal Singh : Sir, there is no provision for folding of hands.

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, मुझे प्रसन्नता है कि आप अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व अपने हाथ जोड़ते हैं; हम इसका स्वागत करते हैं ।

श्री नाथपाई : आप बिल्कुल ठीक करते हैं । आप अपने पूर्वाधिकारी, श्री अनन्तशयनम अयंगार का अनुसरण कर रहे हैं, जो सच्ची भारतीय परम्परा के अनुसार सदा ऐसा किया करते थे ।

Shri Yashpal Singh : It is not there in our parliamentary procedure and practice.

अध्यक्ष महोदय : कौन कहता है ? यह सही भारतीय तरीका है ।

Shri Kamalnayan Bajaj : It is the correct Indian method. It should be observed.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

गिरिडीह कोयला खानों में कोयला खानों का परित्याग

+

9. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री एस० ए० डांगे :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री कमला मिश्र मधुकर : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जे० एम० बिस्वास : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बिहार के गिरिडीह कोयला खान क्षेत्र में

खानों का परित्याग करने का निर्णय किया है जिसके परिणामस्वरूप तीन हजार मजदूरों की छंटनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के इस निर्णय को बदलने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नहीं, महोदय । गिरिडीह खानों को बिलकुल छोड़ देने का निर्णय नहीं किया गया है । गिरिडीह खानों के उत्तरोत्तर बंद करने के मंजूर किये हुए कार्यक्रम के अनुसार इसके केन्द्रीय गड्ढे का संचय समाप्त हो जाने के कारण जुलाई, 1967 तक बंद कर देने का प्रस्ताव है । इसमें चार काम लिए जाने वाले गढ़े/प्रवणक (इंक्लाइन) होंगे । केन्द्रीय गढ़े के बंद होने से 1148 मजदूर तथा 201 स्थानापन्न लोगों की छंटनी करनी पड़ेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या यह सच है कि कुछ नई खानों को भी बन्द किया जाने वाला है और इसके कारण छंटनी होने वाले लगभग 35 लाख कर्मचारियों को प्रतिकर देना पड़ेगा तथा लगभग 25-30 लाख रुपये की लगाई गई पूंजी बेकार हो जायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : वास्तव में ये बहुत पुरानी खानें हैं और 1956-57 से हमें औसत से प्रत्येक वर्ष 40-50 लाख रुपये का घाटा होता रहा है । फिर, जो इंक्लाइन बन्द की जा रही हैं, उनमें कोकिंग कोयले की कमी है । इसलिए धीरे-धीरे ऐसे गढ़ों को, जहां कुछ नहीं मिलता है, बन्द करने का निर्णय किया गया है । छंटनी किये गये सभी लोगों को हम अन्यत्र रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं । स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की भी योजना है । उसके अन्तर्गत हम उन्हें ग्रेचुइटी तथा अन्य भत्ते देते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया । 17 बी, 21 और कोलिमारान खानें नई हैं, पुरानी नहीं और न ही उनमें भण्डार समाप्त हुआ है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मूल प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूँ कि हम खानों को बिल्कुल बन्द नहीं कर रहे हैं । हम चार गढ़ों में काम जारी रखेंगे; हम तो केवल केन्द्रीय गढ़ा बन्द कर रहे हैं, जहां भण्डार बिल्कुल समाप्त हो गया है । अन्य चार इंक्लाइनों में काम जारी रहेगा और जब तक कोयला मिलता रहेगा, हम काम जारी रखेंगे ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने खानों के नाम बताये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की नवीनतम रिपोर्ट में, जो हमें दी गई है, कहा गया है कि कर्मचारियों की संख्या घटकर 31-3-1964 में 73,000 से 31-3-1965 को 68,500 और 31-3-66 को 65,600 रह गई अर्थात् दो सालों में कुल मिलाकर 7,400 कम हो गई । चूंकि संकट को कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी द्वारा हल करने का

विचार है, इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बहुत सी और अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं हैं—रूस और पोलैण्ड के सहयोग से—,मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों को इन नई परियोजनाओं में लगाने और बिहार में वर्तमान गरीबी और भुखमरी को और बढ़ाने की अपेक्षा उनकी बड़े पैमाने पर छंटनी क्यों की जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न विशेष गिरिडीह खानों के बारे में है। जहां तक गिरिडीह खानों का सम्बन्ध है, हम छंटनी किये गये कर्मचारियों को अन्यत्र रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष फालतू हुए 623 कर्मचारियों में से 355 स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की योजना के अन्तर्गत आ गये और 100 व्यक्तियों का अन्य परियोजनाओं में तबादला कर दिया गया। अन्यत्र रोजगार उपलब्ध होने की अवस्था में हम उन्हें रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रामगढ़ गिरिडीह से अधिक दूर नहीं है। जहां पर नई परियोजनायें आरम्भ हो रही हैं। उन्हें वहां पर रोजगार देने में क्या कठिनाई हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं बता चुका हूं कि अन्यत्र रोजगार उपलब्ध होने पर हम अवश्य उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे।

Shri Kamla Mishra Madhukar : There are famine conditions in Bihar now. The prices are also very high. Keeping in view this situation are Government contemplating to give some dearness allowance to these retrenched workers or taking any other measures so that they may earn their livelihood ?

Shri P. C. Sethi : The Hon. Member referred to famine condition. He is right but we are not causing hardship. Since there is no stock of coal there, how can we go on spending the money of Exchequer and the taxpayers.

श्री स० मो० बनर्जी : यद्यपि वे यह नहीं मानते कि खानों को बन्द किया जा रहा है, विवरण से पता चलता है कि लगभग 1,100 कर्मचारियों की छंटनी होने की सम्भावना है। छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों का एक सामान्य 'पूल' बनाने तथा उन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की अन्य खानों में रोजगार देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एक कम्पनी है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन उन्हें जहां भी दूसरा रोजगार दिया जा सकता है, हम अवश्य उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कोयले की मांग में सामान्य रूप से गिरावट है। इसके अतिरिक्त कोकिंग कोयले से भिन्न कोयले वाले क्षेत्रों में कोकिंग कोयला का उत्पादन हमें कम करना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यथासंभव उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या कोई सामान्य 'पूल' है और यदि हां तो क्या इन 1,100 कर्मचारियों को कोई रोजगार दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इन सभी कर्मचारियों का एक पूल है। नये काम के लिए नये व्यक्तियों को रखने से पहले पुराने कर्मचारियों को सर्वदा ही प्राथमिकता दी जायेगी।

Shri Yogendra Sharma : The Hon. Minister has not given a clear answer. The mines, namely, 17-B, 21 and Kolimaran mines are new mines and in their case the question of stock of coal being exhausted does not arise. Why they are being closed ? The closure of these mines would result in a fall of 2½ or 3 lakh tons in the production of coal whereas the cost of production of coal will go up and there will be unemployment of workers at a time when Bihar is in the grip of famine. It is not in the interest of N. C. D. C. or workers or coal production. The Hon. Minister should give a specific reply.

Shri P. C. Sethi : I did not say that all the mines are being closed. As already stated in the main answer, it has been decided to close down the central pit only by July, 1967.....

Shri Yogendra Sharma : Mr. Speaker, I have enquired about three particular mines but the Hon. Minister is referring to something else. If he has no information let him ask for some time.

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, I do not have the information about the particular mines referred to by the Hon. Member. If he is very anxious I will try to supply the same during the next session. But I may state that there are four other inclines in addition to the central pit—I do not have their numbers with me—which we will continue to operate. The Hon. Member said that there is ample production. In fact, it is not so, only 12,000 tons of coking coal and 5,000 to 6,000 tons of inferior grade coal is being produced.

डा० आई० अहमद : जहां तक मुझे मालूम है, केन्द्रीय गढ़े को जुलाई से बन्द कर देने का विचार है। लेकिन सारी खान तथा अन्य क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। पानी निकालने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए अन्य इन्कलाइनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया तीन इन्कलाइनों में अच्छा कोयला है। लेकिन तीसरे दर्जे का काफी कोयला है, जो कोकिंग संयंत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। बरौनी स्थिति कुछ तापीय बिजलीघर गैर-सरकारी फर्मों से कोयला खरीद रहे हैं। गिरिडीह कोयला खान उन्हें कोयला नहीं सप्लाई कर रही है। पहले गिरिडीह कोयला खान उन्हें कोयला सप्लाई करती थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये, इतिहास न बताइये।

डा० आई० अहमद : मैं जानना चाहता हूँ कि गिरिडीह कोयला खान से बरौनी स्थित बिजलीघरों को कोयला सप्लाई करना क्यों बन्द कर दिया गया है ? गिरिडीह कोयला खान क्षेत्र में एक छोटा-सा तापीय बिजलीघर क्यों नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वहां पर तीसरे दर्जे का कोयला उपलब्ध है, पानी और मकान की व्यवस्था है और वहां पर यह बनाया जा सकता है ?

डा० चेन्ना रेड्डी : यह तो सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है कि तापीय बिजलीघर के लिये कोई योजना पेश करे और फिर अवश्य ही कोयला उपयोग में लाया जा सकता है।

Shri S. M. Joshi : It has been stated on behalf of the Government that an attempt would be made to give alternative employment to the retrenched employees, but "to make an attempt" is not a clear assurance. In view of large scale retrenchment, may I know whether a clear procedure has been laid down in this regard. As Mr. Banerjee mentioned are you going to start a scheme of common food, where these workers who are likely to be retrenched will be given alternative jobs where the number of labourers is small, before launching on retrenchment ?

Dr. Chenna Reddy : As I just now stated, as soon as new works are taken up there, these retrenched persons will be absorbed there. Though no pool has been made, the old workers will be taken first.

Shri K. N. Tiwary : Among other things, the Hon. Minister attributed the retrenchment of employees to accumulation of large stocks of coal. The situation now is that there is no coal available for brick-kilns in the villages. Will Government lift restrictions and control on it so that coal may be available at all places and the difficulties of the people may be removed ?

Dr. Chenna Reddy : Coal is used in villages on a very small scale. If there are any difficulties there, we will certainly remove them. The lack of consumption is mainly in Railways and Industries.

डा० रानेन सेन : गत वर्ष मैं गिरिडीह गया था और मैंने स्वयं ही बन्द की जाने वाली इस कोयला खान को देखा था । कर्मचारियों से मुझे पता लगा कि फालतू कर्मचारियों को अन्य रोजगार के लिये मध्य प्रदेश अथवा आन्ध्र में कोयला खानों में भेजा जा रहा है । उनमें से अधिकांश स्थानीय लोग हैं, जो वहां से इतनी अधिक दूर जाने के लिए तैयार नहीं हैं । साथ ही प्रबन्धकों ने स्वयं ही मुझे बताया कि पास में कुछ नई खानें स्थापित की जा रही हैं । इसलिए, नए मजदूर भर्ती करने की अपेक्षा सरकार नई खोली जाने वाली कोयला खानों में इन मजदूरों को काम क्यों नहीं देती । स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति के नाम पर उन्हें जबरदस्ती छंटनी करने की अपेक्षा सरकार उन्हें नई परियोजनाओं के अन्तर्गत पास ही में खोली जाने वाली नई खानों में क्यों नहीं काम पर रखती ?

डा० चेन्ना रेड्डी : यदि पास के क्षेत्र में नई खानें खुलती हैं, तो अवश्य ही स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जायेगी । लाचारी में ही उनको अन्य राज्यों में जाने के लिये कहा जाता है । ऐसी कोई विशेष नीति नहीं है कि उन्हें अन्य स्थानों पर भेजा जाता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह एक अजीब बात है कि मजदूरों के लिये स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति लागू की जा रही है । स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की शर्तें क्या हैं ? आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये स्वेच्छा से ही होता है ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ कि 'स्वेच्छा से' कही जाने वाली बात अनेक क्षेत्र में वास्तव में अनिवार्य होती है ।

डा० चेन्ना रेड्डी : स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की योजना के नाम से यह योजना लागू की गई है । इसके अन्तर्गत उन कर्मचारियों को, जिनकी आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, ग्रेच्युइटी के रूप में उतनी ही राशि दी जाती है, जितनी कि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के

उपबन्ध के अन्तर्गत छंटनी किये जाने पर मिलती। यह इसलिए किया गया है कि मजदूरों को कानून के अन्तर्गत जबरदस्ती छंटनी करने की अपेक्षा उनके तथा मजदूर संघ के सहयोग से आसानी से उनकी छंटनी की जा सके।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : क्या सरकार की यह निश्चित नीति है कि छंटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार मिलने तक नये मजदूरों को नहीं रखा जायेगा ?

डा० चेन्ना रेड्डी : यह एक निश्चित कठोर नीति नहीं है। जहां भी पुराने कर्मचारियों का उपयोग किया जा सकता है, हम अवश्य ही उन्हें प्राथमिकता देंगे। इसके बारे में कोई कठोरता नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Minister has referred to two points in his reply, one is the excess of production of coal over consumption and secondly the loss in operating these mines. This has been our experience in this country that sometimes the coal is in excess of our requirements and sometimes there is shortage of coal, which speaks of lack of planning on the part of Government. There is shortage of coal, particularly in U. P., and it is sold in the black market. In view of all this will the suggestion of the trade union workers to give them an opportunity to run these mines, will be given effect ?

डा० चेन्ना रेड्डी : जहां तक कोयले के उपयोग का सम्बन्ध है, तीसरी योजना का लक्ष्य 960 लाख टन था जबकि हम केवल 680 लाख टन पूरा कर पाये। माननीय सदस्य ने जिस मामूली सी कठिनाई का उल्लेख किया, उसे ठीक किया जा सकता है लेकिन भारी कमी के अन्य कारण हैं।

Shri Ramavtar Shastri : The Hon. Minister just now stated that the workers to be retrenched will be provided alternative job if available. May I know in case they do not get a job whether Government is thinking of giving any special economic assistance to them so that they may survive and be able to look after their children in the present days of high prices ?

Dr. Chenna Reddy : Generally when it is considered necessary to retrench somebody, we try to help him get an alternative job and give him facilities such as gratuity etc. under voluntary retirement. It is very difficult to give assistance like this to all the workers.

Dr. D. N. Tiwary : There is a constant shortage of coal in the rural areas of Eastern U. P. and North Bihar as a result of booking restrictions. Sometime back there was a scheme of piling up of stocks in lean railway season and to utilise it whenever needed. Will Government resume piling up of stock of coal in Eastern U. P. and North Bihar during the lean season to reduce the accumulated stocks at the pit-heads so that workers may retain their jobs and mines may also continue to operate ?

Dr. Chenna Reddy : If there is any difficulty about movement only, I may say we constantly see to it and if the Hon. Member supplies me the details, I will certainly look into them.

Shri Kameshwar Singh : Is it a fact that the work by N. C. D. C. is being stopped inspite of sufficient stocks of coal in the mines ?

Shri P. C. Sethi : It has already been stated that since there is no stock of coal left in the central pit, it is being closed.

श्री कमलनयन बजाज : सामान्य सेवा-निवृत्ति और स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति में क्या अन्तर है। यदि स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति के लिये अधिक प्रोत्साहन है, तो क्या स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति हुए व्यक्ति को अन्यत्र रोजगार के लिये प्राथमिकता दी जायेगी अथवा वह पूर्णतः सेवा-निवृत्ति माना जायेगा ?

डा० चेन्ना रेड्डी : स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की इस योजना में एक बात और है, अर्थात् हम नहीं चाहते कि अन्त में आने वाला व्यक्ति सबसे पहले जाये क्योंकि नये कर्मचारियों की तो अपने आप ही छंटनी हो जाती है, इससे बचने के लिये हम 57 वर्ष से कम आयु के लोगों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। उन्हें कुछ ग्रेच्युइटी मिल सकती है जो उनके लम्बे कार्य काल के कारण काफी होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चूंकि इस समय कोयला खानों के पास इतना अधिक कोयला जमा है, जितना आज तक कभी नहीं हुआ और हमने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में काफी पूंजी लगा रखी है और भारत में तैयार डीजल इंजन लागत की दृष्टि से 75 प्रतिशत विदेशी है, इसलिए क्या आपने किसी भी समय रेलवे मंत्रालय को यह समझाने की बात सोची कि वे डीजल इंजन न चलायें ?

डा० चेन्ना रेड्डी : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण है, वास्तव में हाल ही में मैंने इसके बारे में कोयला आयुक्त से बातचीत की है। हम इस पर विचार कर रहे हैं तथा विवरण तैयार कर रहे हैं। बाद में यदि हम देखते हैं कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं, तो हम रेलवे विभाग से इस बारे में बातचीत करेंगे।

Shri Shiv Chandika : Is this retrenched going to be made with the agreement of the recognised union and the employer ?

डा० चेन्ना रेड्डी : छंटनी समझौते से की जाती है अथवा किसी भी हालत में मान्यताप्राप्त यूनियन से इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार यथासंभव ऐसा किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : There are thousands of contract labourers in collieries, whose daily wages are Rs. 2.25 but they are actually paid @ Re. 1—2 as. though acquittance is obtained for Rs. 2.25. There are thousands of such complaints. Will the Hon. Minister kindly look into it ?

Dr. Chenna Reddy : If there is any specific case, I will look into it.

श्री जे० एम० बिस्वास : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग साधारणतया राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कोयला स्वीकार नहीं करते हैं, परन्तु जब उसी दर्जे का कोयला ठेकेदार के माध्यम से आता है, तो वे स्वीकार कर लेते हैं, सरकार ऐसी व्यवस्था

क्यों नहीं करती कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कोयला स्वीकार करना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : हम मुख्य प्रश्न से बाहर जा रहे हैं।

श्री जे० एम० बिस्वास : यह कोयले की खपत के बारे में है। यह कोयला खानों में देखा जाता है, और वे कहते हैं कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले की मांग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। क्या वे उत्तर दे रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रश्न गिरिडीह कोयला खानों के बन्द होने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोयले से सम्बन्धित सभी मामलों को उठाया जा रहा है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। [**अन्तर्वाधा**]

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। यदि यह गिरिडीह खानों तक सीमित रहता, तो मैं कुछ और प्रश्नों की अनुमति दे सकता था। अब कोयले की सारी सप्लाई आदि बातों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न के लिए मैं आधा घन्टा दे चुका हूँ। मैंने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की है।

Shri S. M. Joshi : Questions are not replied in full. We want you to protect us.

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर सन्तोषजनक न हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ।

Shri Madhu Limaye : Excuse me Sir, just go through the last fifteen days' proceedings. How many times it has been pointed out that proper replies are not being given.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यही एक फोरम है, हम लाखों लोगों की शिकायतें रख सकते हैं, जिनके हम प्रतिनिधि बनकर आये हैं, यदि स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता है, और जान-बूझकर झूठ बोला जाता है, तो हम लाचार हो जाते हैं। कोयला खान उद्योग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। रिकार्ड स्टाक जमा हो गया है, वे बेच नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न के प्रसंग की बात होनी चाहिए। हम गिरिडीह कोयला खानों के बन्द किये जाने पर चर्चा कर रहे हैं। अब फालतू कोयले, कोयले की बिक्री आदि के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या ये अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित हैं ? इसके बारे में बहस करने से कोई लाभ नहीं।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, my question was quite relevant to the main question. My question is whether there is any arrangement to absorb these retrenched workers, to provide alternative jobs to them ; if not, are you going to make such arrangements ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं सुना है, माननीय मंत्री इसे दोहरा दें।

श्री प्र० चं० सेठी : चूंकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सरकारी क्षेत्र में है, हम यह देखेंगे कि जहां भी दूसरा रोजगार उपलब्ध हो, इन छंटनी किये जाने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और कोई नया आदमी नहीं रखा जाता । यह आश्वासन दिया गया है ।

श्री एस० एम० जोशी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर दे चुके हैं ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में (प्रक्रिया)

RE: CALLING ATTENTION NOTICES AND SHORT NOTICE QUESTIONS (PROCEDURE)

श्री नाथपाई (राजापुर) : इससे पहले कि आप ध्यान दिलाने वाली सूचना लें, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । उस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये हैं । श्रीमन, यह अच्छी बात है कि आप कुछ अच्छे दृष्टान्तों और पूर्व परम्पराओं का अनुसरण कर रहे हैं । उदाहरणार्थ आप प्रतिदिन नमस्कार करके सभा का अभिवादन करते हैं । मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

मैं आपका ध्यान आपसे पहले अध्यक्ष महोदय की इस पद्धति की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह प्रत्येक सत्र के अन्तिम दिन अधिक अल्प सूचना प्रश्न लेते थे ।

मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न दिया था तथा आपको इस सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा है । यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है; यह प्रश्न आज के बहुचर्चित विषय के बारे में है अर्थात क्या रूस और अमरीका ने परमाणु हथियारों के संबंध में समझौते के बारे में एक समान प्रारूप भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास यह प्रश्न था । मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य ने भी मुझे लिखा है ।

श्री नाथपाई : कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिये । यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे, तो मैं इसके लिये आपसे अधिक आग्रह नहीं करूंगा । अब मैं प्रक्रिया के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । मुझे बताया गया है कि वैदेशिक कार्य मंत्री ने मेरे प्रश्न को बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया है । सरकार देश का शासन एक जमींदारी की तरह चला रही है । हम इस सभा के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होने देंगे । यह एक गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करें ।

श्री नाथपाई : मेरे अल्प सूचना प्रश्न को किस कारण से अस्वीकृत किया गया ? क्या उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है ? क्या यह एक साधारण मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य का पत्र मिला है । माननीय सदस्य तथा सभा अच्छी तरह जानती है कि अल्प सूचना प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have Tabled 40 Short Notice Questions but none of them has been accepted. At last our labour is wasted.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये अपने स्थान पर बैठ जायें। जब मैं खड़ा होकर एक विषय पर बोल रहा हूँ तो उन्हें इस प्रकार उठ कर नहीं बोलना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है ?

Shri Madhu Limaye : I am simply drawing your kind attention to the fact that I have Tabled 40 Short Notice Questions.

अध्यक्ष महोदय : जब मैं किसी विषय का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ और मैंने आधा वाक्य बोला है, किसी भी माननीय सदस्य को बीच में उठकर इस प्रकार अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने श्री नाथपाई की बात ध्यानपूर्वक सुन ली है, मेरे पास माननीय सदस्य का भी पत्र है। किन्तु मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकता कि वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में अनेक नियम बने हुए हैं। मैं अल्प सूचना प्रश्नों को मंत्रियों के पास भेज देता हूँ। यदि यह संभव होता, जैसा कि मेरे पूर्वाधिकारी करते थे, सायंकाल के समय हम एक या दो और प्रश्न ले लेते। यह पद्धति नहीं है कि मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न अस्वीकृत किये जाने पर हम उन्हें यहां पर उठायें। नियमों में जब इसकी व्यवस्था ही नहीं है तो हम कैसे ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सदस्यों ने संशोधन की सूचनाएँ दी हैं। यदि हम उन संशोधनों पर विचार करें, तो माननीय सदस्य कदाचित नियमों में भी इसकी व्यवस्था कर सकें। किन्तु वर्तमान नियम के अनुसार मैं मंत्री महोदय को इस प्रश्न को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूँ। यदि अल्प समय में वह इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं उन्हें किस नियम के अन्तर्गत बाध्य कर सकता हूँ ? यह मेरे अधिकार में नहीं है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ।

श्री नाथपाई : मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेरे दल के नेता श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने.....प्रस्ताव की सूचना दी है.....

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैंने एक प्रश्न की सूचना दी है।

श्री नाथपाई : मैंने भी आपको इस सम्बन्ध में लिखा था।

हम आपको किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि कार्य-पालिका आपके अधिकार का पालन करे क्योंकि इस सभा में आपका अधिकार सर्वमान्य है। श्री चागला नियमों की आड़ लेना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है। प्रारूप आ गया है। शक्तिशाली राज्य हमसे उपनिवेश की भांति इस पर दबाव डालकर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। मंत्री महोदय को किसी नियम का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए अथवा किसी नियम की आड़ नहीं लेनी चाहिए। उप-प्रधान मंत्री यहां पर हैं। उन्हें इसका उत्तर देने दीजिये। ये दो शक्ति-शाली राष्ट्र हमसे परमाणु सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये कह रहे हैं। आज इसका सत्र समाप्त हो रहा है और हमें इस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा। हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि ये लोग रूस और अमरीका से कहेंगे कि हम अपनी प्रभुसत्ता का सौदा

नहीं करेंगे। इस पर आपको विचार करके श्री चागला से इस सभा में इसका उत्तर देने के लिये कहना चाहिए। सभा का इस सम्बन्ध में आश्वासन मांगना उचित ही है। किन्तु हमें दम्भपूर्ण उत्तर मिलता है कि वह इस प्रश्न को स्वीकार ही नहीं करते हैं। क्या यह आपसे अपनी बात मनवाना है या आपके अधिकार तथा इस सभा के अधिकार को बनाये रखने के लिये आपका सहयोग मांगा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे।

श्री हेम बरुआ : मैंने इस सम्बन्ध में आपको लिखा था। मैंने पेकिंग में पाकिस्तान दिवस समारोह से भारतीय दूतावास के अधिकारियों के उठकर चले जाने के समाचार के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। आपने उसकी अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है।

श्री हेम बरुआ : फिर मैंने इस सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न किया था। किन्तु श्री चागला ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तब मैंने आपको लिखा। बाद में मंत्री महोदय द्वारा आपके कार्यालय को दी गई जानकारी के अनुसार मुझे आपके कार्यालय से सूचना मिली। चूंकि पेकिंग में होने वाले समारोह से भारतीय दूतावास के अधिकारियों का उठ कर चले जाने से सम्बन्धित यह एक महत्वपूर्ण मामला है, अतः श्री चागला मेरे इस अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह दे सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ये मामले इस प्रकार नहीं उठाने चाहिये।

श्री हेम बरुआ : मैं आपसे केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना को अस्वीकृत कर दिया है ? मंत्री महोदय ने अल्प सूचना प्रश्न अस्वीकृत कर दिया होगा ? किन्तु ध्यान दिलाने वाली सूचना का क्या हुआ। यदि दोनों अस्वीकृत कर दिये हैं, तो हम उन्हें किस प्रकार उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब नियम समिति की बैठक होगी, तो हम इन विषयों के लिये नियमों में व्यवस्था करेंगे। माननीय सदस्यों को इन बातों पर नियम समिति की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। नियमों में जो कुछ व्यवस्था है, माननीय सदस्य इस सभा को, मंत्रियों को तथा अध्यक्षपीठ को जो अधिकार देने हैं, उनका पालन किया जायेगा।

श्री पाटोदिया अपनी ध्यान दिलाने वाली सूचना पढ़ें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम 376 (2) के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह सभा के विचाराधीन कार्य से सम्बन्धित है। इस समय सभा ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार कर रही है। ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में भी नियम हैं कि उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया जाये, अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय क्या होना चाहिए आदि। इस सभा में एक अच्छी परम्परा थी .....

अध्यक्ष महोदय : परम्पराओं के बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न सभा के विचाराधीन मामले के बारे में होना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : इस समय ध्यान दिलाने वाली सूचना सभा के विचाराधीन है। मैं इस विशेष ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में नहीं प्रत्युत आम तौर पर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यान दिलाने वाली सूचना 'एड इन्डिया कन्सौर्टियम' के बारे में है। क्या माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न इससे सम्बन्धित है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना पढ़ी है। पहले इस सभा में यह परम्परा थी कि सत्र के अन्तिम दिन तीन-चार ध्यान दिलाने वालो सूचनाएं ली जाती थीं। आज भी सत्र का अन्तिम दिन है.....

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मुझे अधिक ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां है ?

श्री स० मो० बनर्जी : सत्र के अन्तिम दिन तीन-चार ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं ली जाती हैं, पहले का मौखिक उत्तर दिया जाता है और शेष का उत्तर सभा-पटल पर रखा जाता है। हम अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहते हैं। किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। अल्प सूचना प्रश्न भी नहीं लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करना मंत्री महोदय के अधिकार में है, फिर ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी गईं। उन्हें स्वीकार करना पूर्णतः आपके अधिकार में है। कल भी मैंने कर्मचारियों से सम्बन्धित गंभीर स्थिति की बात उठाई थी.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर अन्य बातों को उठा रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न चर्चाधीन मामले के बारे में ही होना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : इस समय सभा ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार कर रही है। मैं ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में.....

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य विचाराधीन विषय के बारे में ही व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य किसी अन्य विषय पर इसी तरह व्यवस्था का प्रश्न उठाने लग जायें तो, व्यवस्था के प्रश्नों की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इस प्रकार सभा का कार्य चलना ही असम्भव हो जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस सम्बन्ध में आपका मार्ग-दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

हम केवल आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि आपने हमारी ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं अस्वीकृत कर दी हैं.....**

अध्यक्ष महोदय : यह सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्य जो चाहें कहें मुझे सत्याग्रह करना पड़ेगा । मैं और कर ही क्या सकता हूं । यदि प्रतिदिन ऐसा होता रहे तो मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री हेम बरुआ : क्या आप की ओर से यह सत्याग्रह है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एड इण्डिया कन्सौर्टियम द्वारा भारत की सहायता के बारे में निश्चय

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें :

"एड इंडिया कन्सौर्टियम द्वारा पेरिस में हुई अपनी बैठक में 1967-68 में भारत को दी जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में किया गया निश्चय ।"

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह वक्तव्य चार पृष्ठ का है । मैं समझता हूं कि इसे पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : कोई आवश्यकता नहीं हम अनुपूरक प्रश्न पूछ लेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : इसे पढ़ने के लिए केवल दस मिनट का समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : पढ़ने दीजिये ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्यों को पता है कि कुछ वर्षों से कई देश और संस्थाएं, जिन्हें भारत को विकास सम्बन्धी सहायता देने में दिलचस्पी है, विश्व बैंक की अध्यक्षता में, हमारी विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकता पर विचार करने के लिये समय-समय पर अपनी बैठकें करते रहे हैं । ये देश हैं : आस्ट्रिया, बेलजियम, कनाडा, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पेरिस में, उस संघ की, जिसे भारत सहायता संघ कहा जाने लगा है, 1967-68 की हमारी आवश्यकताओं पर विचार

** कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

करने के लिए एक बैठक हुई थी। बैठक की समाप्ति पर विश्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जिसकी एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है।

उस विज्ञप्ति में जो कुछ कहा गया है उसके अलावा मैं जो कुछ कह सकता हूं वह अधिक नहीं है। माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर जायगा कि विज्ञप्ति से पता चलता है कि संघ में जिन देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, उन्होंने सदा की भांति हमारी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में मित्रतापूर्ण और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में यद्यपि पूरा ब्योरा तैयार नहीं किया गया है, फिर भी गैर-प्रायोजना कार्यों के सम्बन्ध में नयी सहायता के लिए लगभग 130 करोड़ डालर का लक्ष्य उचित ठहराया गया है, जिसमें हमारी अन्न सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इस वर्ष हमें खासतौर से कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमें अपनी कृषि के लिए और उद्योग-धन्धों को चलाने के लिए कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और ऐसी ही चीजों की सामान्य आवश्यकताओं के अलावा भारी मात्रा में अन्न मंगाने की आवश्यकता है। संतोष की बात है कि विज्ञप्ति में कहा गया है कि पर्याप्त गैर-प्रायोजना सहायता के साथ-साथ, अन्न के आयात से सम्बन्ध रखने वाली भारत की तात्कालिक आवश्यकताएं, अन्य अत्यावश्यक आयातों को ठेस पहुंचाये बिना पूरी की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य चाहेंगे कि इस अवसर पर मैं विश्व बैंक तथा उन अन्य देशों को, जिनका पेरिस में प्रतिनिधित्व किया गया, हमारे विकास प्रयत्नों में उनके द्वारा लगातार दी गयी सहायता के लिए धन्यवाद दूं।

वर्तमान संकेतों के अनुसार, हमें चालू कलेंडर वर्ष में लगभग 100 लाख मेट्रिक टन अन्न का आयात करने की आवश्यकता होगी, जिसमें से 43 लाख मेट्रिक टन के आयात के लिए पहले ही प्रबन्ध किया जा चुका है, जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई की मंजूरी दिये जाने का परिणाम है। कुछ अन्य मित्र देशों ने भी, जिनमें कनाडा, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और आस्ट्रेलिया उल्लेखनीय हैं, हमें उदारता से अन्न सम्बन्धी सहायता दी है और जिन आयातों के लिए प्रबन्ध किया जा चुका है उनमें यह सहायता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार शांति के लिए खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 लाख मेट्रिक टन और भी अन्न देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमारे अन्य मित्र भी अन्न सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त मात्रा में अन्न देने को तैयार हों। इस प्रकार लगभग 27 लाख मेट्रिक टन अनाज की कमी रह जाती है। इसके मुकाबले, कनाडा द्वारा दिये जाने वाले कुल 7 लाख मेट्रिक टन अनाज में से लगभग 6 लाख मेट्रिक टन अनाज उपलब्ध हो जायगा, क्योंकि इस अनाज का जहाजी लदान अभी बाकी है और इस कारण, मेरे द्वारा पहले बताये गये 43 लाख मेट्रिक टन अनाज में यह मात्रा शामिल नहीं की गयी है। जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है, सहायता संघ के सदस्यों ने बैठक में अन्न, रासायनिक खाद और कृषि उत्पादन के लिए सम्बद्ध सामग्री के लिए नयी सहायता तथा ऐसे रूप में सहायता देने का संकेत दिया है जिससे नकद रकम अन्न की खरीद के लिए उपलब्ध हो सके। यद्यपि प्रत्येक देश द्वारा दी जाने वाली सहायता और उसके

स्वरूप का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है, फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को छोड़ कर, सहायता संघ के अन्य देशों द्वारा दी जाने वाली खाद्य सहायता से हम 12 करोड़ डालर के मूल्य का अनाज प्राप्त सकेंगे । यदि उन देशों या संस्थाओं से भी कुछ अतिरिक्त खाद्य सहायता मिलती है, जिनका सहायता संघ में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम अन्न के आयात की अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे, बशर्ते कि दुनिया की मंडियों में अनाज उपलब्ध हो और कुल गैर-प्रायोजना सहायता पर्याप्त हो, जिससे हम अपनी खाद्य सम्बन्धी तथा खाद्य से भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

खाद्य सहायता सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकता जिसमें अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला 30 लाख मेट्रिक टन अन्न भी शामिल है, कनाडा से मिलने वाले अन्न का वह शेष भाग जो अभी जहाजों द्वारा भेजा जाना है, और जिस सहायता के बारे में दूसरे देशों द्वारा वचन दिया गया है या दिये जाने की आशा है, कुल मिलाकर 38 करोड़ डालर की बैठती है । चूंकि सहायता संघ द्वारा, अन्न सम्बन्धी तथा अन्न से भिन्न दोनों प्रकार की गैर-प्रायोजना सहायता के बारे में 130 करोड़ डालर का अनुमान लगाया गया है, इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्न से भिन्न आवश्यकताओं के लिए गैर-प्रायोजना सहायता लगभग 90 करोड़ डालर अर्थात् उतनी ही रखी गयी है जितनी 1966-67 में रखी गयी थी । हालांकि इस रकम की पूर्ति के लिए निश्चित वचन दिये जाने से पहले, हमें सम्बद्ध देशों में कानूनी और अन्य औपचारिकताओं के पूरे होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर भी यह आशा करना उचित होगा कि सहायता के लिए वचन जल्दी ही दिये जायेंगे ताकि हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कारगर ढंग से कर सकें । सहायता-संघ के सदस्यों ने यह भी मान लिया है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नयी सहायता के अधिकांश भाग का शीघ्रता से प्रयोग किया जा सके, वे भी हमारा हाथ बटायेंगे । सहायता-संघ में जिन देशों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है, हम उनके साथ की जाने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में, कार्य-प्रणालियों और शर्तों के सुधार द्वारा, उपलब्ध सहायता के तेजी से उपयोग किये जाने की सभी सम्भावनाओं की खोज करेंगे ।

विज्ञप्ति में प्रायोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि चालू वर्ष में सहायता संघ के देशों से प्रायोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी ही नहीं । हम उन प्रायोजनाओं के लिए, जो क्रियान्वित किये जाने के लिए तैयार हैं या जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए क्रियान्वित करना चाहते हैं, सहायता-संघ के कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं । इसके अलावा, इसमें संदेह नहीं कि चालू वर्ष में सहायता-संघ के देशों की और बैठकें भी होंगी जिनमें हम प्रायोजना सम्बन्धी सहायता की अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सामान्य रूप से बातचीत कर सकेंगे, ताकि बाद में द्विपक्षीय वार्ता हो सके ।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि सहायता-संघ जैसी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की द्योतक है । यह तब तक कारगर और लाभदायक ढंग से काम नहीं कर

सकती जब तक कि इसके सदस्यों में, चाहे ये सहायता देने वाले हों या प्राप्त करने वाले, अधिक से अधिक सद्भाव और एक दूसरे की बातों को समझने की भावना न हो। यदि भारत सहायता संघ, जो अपने ढंग का पहला संघ है, भारी कठिनाइयों के बावजूद, संसार के इतने देशों के बीच भारत के आर्थिक विकास में लगभग 9 वर्षों तक रचनात्मक दिलचस्पी बनाये रख सका है, तो उसका श्रेय अधिकांशतः विश्व बैंक के अधिकारियों को ही है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 1967 को जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति

भारत की विकास सम्बन्धी सहायता में दिलचस्पी रखने वाली सरकारों और संस्थाओं के संघ (कन्सौर्टियम) की बैठक विश्व बैंक की अध्यक्षता में 4, 5 और 6 अप्रैल, 1967 को हुई थी। इसमें आस्ट्रिया, बेलजियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने अपने प्रेक्षक भेजे थे।

भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी, जिसका नेतृत्व वित्त मन्त्रालय के सचिव श्री एस० जगन्नाथन ने किया और जिसमें खाद्य और कृषि मन्त्रालय के सचिव श्री ए० एल० डायस और श्री बी० शिवरामन भी शामिल थे, 1 अप्रैल, 1967 से शुरू हुए राजस्व वर्ष के लिए भारत की आयोजनाओं और सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं को बताने के लिए बैठक के एक भाग में उपस्थित था। सहायता संघ के सदस्यों ने भारत के प्रतिनिधियों के इस विवरण का स्वागत किया कि सरकार, अधिक उपज वाले, नयी किस्म के बीजों, रासायनिक खादों, पौधों के संरक्षण की आवश्यक वस्तुओं और कुएं बनाने तथा सिंचाई की अन्य सुविधाओं के लिए उपकरणों को काफी मात्रा में मुहैया करने की व्यवस्था करके अन्न तथा खेती की दूसरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के नये कार्यक्रम को जोरों से चलाने का आयोजन कर रही है। उन्होंने इन संकेतों का भी स्वागत किया कि परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी और निर्यात-प्रोत्साहन, भारत के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगाये जाने को बढ़ावा देने के उपायों और आमतौर से भारती उद्योगों की कार्य-कुशलता पर लगातार जोर दिया जाता रहेगा। यह भी अनुभव किया गया कि यदि पर्याप्त साधन उपलब्ध हुए, तो प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों के सम्बन्ध में आयात सम्बन्धी उदार नीति को जारी रखा जायगा।

अपने विचार-विमर्श में भारत सहायता संघ ने मुख्यतः अन्न की अल्पकालिक समस्याओं और तुरन्त सहायता देने की अत्यधिक आवश्यकता पर खासतौर से जोर दिया।

भारत सहायता संघ इस बात से सहमत था कि अन्य प्राथमिकता-प्राप्त प्रायोजनों के लिए साधनों के दिये जाने में कमी किये बिना भारत को अन्न के आयात के लिए करार करने में समर्थ बनाना बहुत आवश्यक। है बैठक में संघ ने अन्न, रासायनिक खाद और कृषि-उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए नयी सहायता और ऐसे रूप में सहायता दिये जाने का निर्देश किया

जिससे अन्न के लिए नगद रकम उपलब्ध की जा सके। विश्वास किया जाता है कि जहाजों द्वारा भेजे जा चुके 43 लाख टन अन्न, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये 30 लाख टन अन्न और कनाडा द्वारा प्रस्तुत किये गये 700,000 टन अन्न के अतिरिक्त, नयी सहायता भारत को 1967 में लगभग 100 लाख टन अन्न का आयात करने में समर्थ बनाने के लिए काफी है। यह भी कहा गया है कि भारत सहायता संघ से बाहर के कुछ देश और संस्थाएं भारत की आवश्यकता पूरी करने में सहायता प्रदान करने के लिए अन्न देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं। इसलिए, पर्याप्त गैर-प्रायोजना सहायता के साथ-साथ, अन्न के आयात की भारत की तात्कालिक आवश्यकता, अन्य अत्यावश्यक आयात में कमी किये बिना, पूरी हो जानी, चाहिए।

1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक के राजस्व-वर्ष की भारत की सहायता संबंधी कुल आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए, सहायता संघ की यह राय हुई कि आयोजन के प्रयोजनार्थ, गैर-प्रायोजना सहायता के रूप में दी जाने वाली नयी सहायता के लिए, अन्न सहित लगभग 130 करोड़ डालर का लक्ष्य उचित होगा। यद्यपि अधिकांश सदस्य तब तक सहायता सम्बन्धी वचन नहीं दे सकेंगे जब तक कि राजधानियों में बजट सम्बन्धी और दूसरे सम्बद्ध फैसले न कर लिये जायें, फिर भी कुछ सदस्यों ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अंशदान देने का संकेत दिया। सहायता संघ के सदस्यों ने यह बात भी स्वीकार की कि वे भारत सरकार के साथ अपने प्रयत्नों का इस प्रकार सांमजस्य स्थापित करेंगे कि नयी सहायता का काफी बड़ा भाग ऐसा हो जिसे जल्दी उपयोग में लाया जा सके।

सहायता संघ ने भारत के आर्थिक विकास से निकट सम्पर्क बनाये रखने और कुल सहायता सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में की गयी प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से दुबारा बैठक करने की बात मान ली है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने यह आश्वासन दिया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिये गैर-सरकारी विदेशी विनियोजकों को उचित प्रोत्साहन दिया जायेगा और कार्यकुशलता के आधार पर सामान्यतः भारतीय उद्योग में, सरकार का एड इंडिया कन्सोर्शियम को दिये गये इस आश्वासन की किस प्रकार क्रियान्विति करने का विचार है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस सम्बन्ध में हम पहले ही अपनी नीतियों के अनुसार घोषणा कर चुके हैं और बता चुके हैं।

श्री डी० एन० पाटोदिया : विदेशी विनियोजनों के सम्बन्ध में सरकार अपने प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किस प्रकार करना चाहती है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके लिये हमें सभी युक्तियुक्त प्रयत्न करने पड़ेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : परियोजना सहायता के सम्बन्ध में निर्णय लेने के

बारे में सार्थ-संघ देशों द्वारा दिखाई गई निरन्तर अनिच्छा को ध्यान में रखते हुये कौन-कौन-सी परियोजनाओं में विलम्ब होगा और कितना ?

श्री मोरारजी देसाई : जब तक मुझे यह मालूम नहीं हो जाता कि परियोजना सहायता कितनी है, मैं कैसे कह सकता हूं कि अमुक तथा इतनी परियोजनाएं ली जायेंगी। इस सम्बन्ध में बातचीत चलानी पड़ेगी और ऐसा किया जायेगा।

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपका ध्यान उप-प्रधान मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं। यह विवरण हमारे दिमाग में गंभीर आशंकाए उत्पन्न करता है। विवरण के पृष्ठ 4 में कहा गया है : यह विज्ञप्ति परियोजना सहायता से सम्बन्धित नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि विश्व बैंक तथा यह सार्थ-संघ, जो कि पंच-वर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए धन की कमी को पूरा करते थे, अब हमारी चौथी योजना की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और जिसके परिणामस्वरूप हम स्पष्टतः यह धारणाबना सकते हैं कि चौथी योजना का भविष्य थोड़ा-बहुत खतरे में है ? इस विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुये, सरकार का विचार इस योजना को जो कि खटाई में पड़ी है, उसकी रूप रेखा के अनुसार किस प्रकार आगे चलाने का है ?

श्री मोरारजी देसाई : पहली बात तो यह है कि चौथी योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। दूसरी यह कि विश्व बैंक इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह हमारी सभी योजनाओं के खर्च को माफ कर दे या उनके लिये धन की व्यवस्था करे या उनके लिये होने वाली धन की कमी को पूरा करे। प्रश्न यह है, हमें परियोजना सहायता की जितनी आवश्यकता होती है, उसके लिये हम विश्व बैंक की मदद से उन देशों के साथ बातचीत करते हैं और हम निरन्तर ऐसा कर रहे हैं। हमें मिलने वाली सहायता पर यह निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने अपने वक्तव्य में समूची स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने रखने का प्रयत्न किया है, जहां तक परियोजना सहायता का प्रश्न है, यदि हम उन्हें विश्वास दिला सकें, तो हमें यह सहायता मिल जायेगी। किन्तु यह उन संसाधनों पर भी निर्भर करती है, जिन्हें हम देश में जुटा सकते हैं। इन सभी बातों पर विचार करना जरूरी है, अभी स्थिति ऐसी है कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्यों को आय-व्ययक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो मई के अन्तिम सप्ताह में पेश किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय मंत्री जी ने यह बात अभी स्वीकार की है कि चौथी योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; इसे अन्तिम रूप दिये जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आयोजन की प्राथमिकताओं जैसे मूल विषयों के सम्बन्ध में सार्थ-संघ को आश्वासन दिलाने के लिये अधिकारियों के इस प्रतिनिधि मंडल को कहां तक अधिकार दिये गये थे; और क्या-क्या आश्वासन दिये गये हैं जिनके आधार पर वे खाद्य देने के लिए सहमत हो गये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसे आश्वासन नहीं दिये गये हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं में

परिवर्तन करेंगे। लेकिन खाद्य की सर्वप्रथम समस्या है और खाद्य के मामले में हमें आत्म-निर्भर बनना है। इस विषय में, आश्वासन केवल उन नीतियों के अनुसार हैं जो कि हमने अपने लिये बनाई हैं। दो चीजों के सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये हैं—कि हम अपने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को पहले की अपेक्षा अधिक कार्यकुशलता से क्रियान्वित करेंगे और परिवार नियोजन के मामले में भी कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भी केवल वही आश्वासन दिये गये हैं, जो कि हमने अब तक दिये हैं। इससे आगे और कुछ नहीं।

पंजाब तथा राजस्थान की स्थिति के बारे में
RE. SITUATION IN PUNJAB AND RAJASTHAN

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, today is the last day of the current session and I did not find it possible to have a talk with you on some matters in your chamber. I had given two Calling Attention Notices ; one regarding formation of a popular Government in Rajasthan.....

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं माननीय सदस्य को अनुमति दूं, तो फिर प्रत्येक को देनी पड़ेगी।

श्री राम किशन गुप्त (हिसार) : पंजाब में संविधान असफल हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान का मामला महत्वपूर्ण है और पंजाब का मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री आज एक वक्तव्य देंगे।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, कल जब विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर चर्चा चल रही थी, तो इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए आपने मुझे कुछ समय दिया था। मैंने कल दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव से जांच करने के लिये कहा था। वह श्री ब्रह्मानन्द से मिले और उन्होंने उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, संसद के सुरक्षीगण अधिकारी, पार्लियामेंट स्ट्रीट के एस० डी० एम० तथा सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के भी बयान दर्ज किये। मुख्य सचिव के निष्कर्ष ये हैं :

श्री ब्रह्मानन्द और उनके अनुयायी गिरफ्तार होने का प्रयत्न करते रहे किन्तु मजिस्ट्रेसी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझा, 5 अप्रैल को 3 बजे अपराह्न के करीब श्री ब्रह्मानन्द और उनके अनुयायी पुलिस की ट्रकों में चढ़कर इस भ्रम में थे कि वे अपने को गिरफ्तार करवाने में सफल हो गये हैं। वास्तव में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी और उन्हें ट्रकों में सवार होने के लिए भी बाध्य नहीं किया गया था। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में श्री ब्रह्मानन्द और उनके अनुयायियों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया गया था।

वे अपने को गिरफ्तार करवाने के विचार से दो घंटे तक पुलिस थाने में रहे। किन्तु जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे वहां से चले गये।

किसी सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में संसद को सूचित करना होता है क्योंकि सदस्य को संसद के सत्र में भाग लेना होता है, किन्तु इस मामले में एक दूसरी ही भूमिका थी। एक संसद् सदस्य अपने को गिरफ्तार करवाना चाहते थे इसलिये वस्तु-स्थिति में उलझन पैदा हो गई। वास्तव में प्रश्न तो यह है कि क्या वह सदस्य वस्तुतः गिरफ्तार किये गये थे अथवा नहीं। मुख्य सचिव ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह वास्तव में गिरफ्फार नहीं किए गए थे। किन्तु यदि सभा यह चाहती है कि यह सम्पूर्ण प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये तो मैं इसका स्वागत करूंगा क्योंकि तब संसद सदस्यों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाले अधिकरणों के लिये उलझन पैदा हो जाती है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, yesterday, you gave permission to Hon. Member, Shri Kanwar Lal Gupta to raise the question of Privilege here. The Hon. Home Minister has stated here that he has no objection if the whole question is referred to and looked into by the Privileges Committee. I, therefore, beg to move :

"That the question of privilege raised by Shri Kanwar Lal Gupta regarding the future of the Delhi Police to inform the Speaker, Lok Sabha, about the arrest and release of Swami Brahma Nand, a Member of this House, on the 5th April, 1967, be referred to the Committee of Privileges with instructions to report by the First day of the next session."

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाना चाहिये, 'गिरफ्तारी' के स्थान पर "कथित गिरफ्तारी" होना चाहिये क्योंकि ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

Shri A. B. Vajpayee : I have no objection. But.....

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं। इस मामले की सचाई अथवा अन्यथा सिद्ध करना अब विशेषाधिकार समिति का काम है। इस समय तो यह केवल एक आरोप है। इसलिये सभा को स्वतः ही यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये और उसमें "कथित" शब्द जोड़ देना चाहिये क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति में जा रहा है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : हमारी यह एक निश्चित परम्परा है जो, मुझे विश्वास है, एक नियम से बढ़कर है कि संसद् के किसी सदस्य की गिरफ्तारी और नजरबन्दी के बारे में जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती, तो वह वास्तविकता हो जाती है और उससे इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कहना चाहते हैं ? सारे मामले का स्पष्टीकरण तो किया जा चुका है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : गृह-कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उस पर यकीन

नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार न तो कोई गिरफ्तारी की गई और न ही कोई नजरबन्दी, श्री ब्रह्मानन्द तथा उनके अनुयायी खुद ही पुलिस की गाड़ी में चढ़ गये और थाने में उनके साथ शिष्टता का व्यवहार किया गया और बाद में वे लोग वहां से खुद ही चले गये। क्या मंत्री लोग सदस्यों के साथ इसी तरह बुरे ढंग में व्यवहार करेंगे ? क्या इस प्रकार के एक मामले को इस तरह रफा-दफा करना उचित है ? आप हमसे भद्रता से व्यवहार करने की अपील करते हैं किन्तु यह जरूरी है कि दूसरी ओर से भी कुछ भद्रता बरती जानी चाहिये। भद्रता एक तरफा नहीं बरती जाती। यदि मंत्रियों द्वारा आरोप लगाये जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूं मंत्री इस सभा में आकर यह कहते हैं—मैं क्षमा याचना करता हूं..... **(अन्तर्बाधा)**

श्री यशवन्त राव चह्वाण : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। मैं समझता हूं वह शब्द जोड़ दिया गया है। अब मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस पर बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य स्वामी ब्रह्मानन्द की 5 अप्रैल, 1967 को हुई कथित गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष को सूचित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को इस हिदायत के साथ सौंपा जाये कि वह अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मुथियल राव) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) काजू की गिरी का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3603 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) रबड़ बैल्टों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 5 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 80 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) बिजली केबल तथा कन्डक्टरों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 10 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 836 में प्रकाशित हुये थे।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०-320/67]

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़, अधिनियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : मैं चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़, नियम, 1967 की, जो दिनांक 29 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 460 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-321/67]**

राष्ट्रपति का सन्देश
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे राष्ट्रपति से दिनांक 6 अप्रैल, 1967 का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ :

"मैंने 18 मार्च, 1967 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

वित्त विधेयक, 1967
FINANCE BILL, 1967

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): श्रीमान्, में प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर की वर्तमान दरों को उनमें कतिपय रूपभेद करके और वार्षिकी जमा की वर्तमान दरों को वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिए जारी रखने तथा उक्त वर्ष के लिए प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत कतिपय वचनों को जारी रखने और लवण पर प्रशुल्क को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि मैंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया है इस विधेयक में वित्तीय वर्ष 1967-68 में भी वर्तमान कर व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है, केवल आय-कर के सम्बन्ध में कुछ रूप भेद किये गये हैं तथा आय-कर अधिनियम के अधीन की जाने वाली वार्षिकी जमा की वर्तमान दरों को उसी प्रकार रखने दिया गया है।

[श्री च० का० भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair]

इस विधेयक की पहली महत्वपूर्ण बात निर्यात को बढ़ावा देने के लिये गत कुछ वर्षों में वित्त अधिनियमों द्वारा दी गई छूटों से सम्बन्धित है। ये छूटें उन योजनाओं के अधीन दी गई थीं, जिन्हें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन हेतु चालू किया गया था। गत जून में रुपये के अवमूल्यन के कारण इन विशेष प्रोत्साहनों को जारी रखने की उपयोगिता ही समाप्त हो गई थी। वास्तव में रुपये के अवमूल्यन की घोषणा के साथ ही सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं तथा अवमूल्यन की तिथि से पूर्व दिये जाने वाले प्रोत्साहनों को समाप्त करने की घोषणा की थी। अतः इस विधेयक के द्वारा केवल उन करों की छूट जारी रखी जा रही है जिनका सम्बन्ध अवमूल्यन के पहले के निर्यात या विक्री से है और अवमूल्यन के बाद के निर्यात अथवा विक्री पर यह छूट समाप्त की जा रही है।

विधेयक की दूसरी मुख्य बात का सम्बन्ध वर्ष 1966 के वित्त अधिनियम के उस उपबन्ध से है, जिसके अनुसार कुछ विशेष देशी कम्पनियों पर अतिरिक्त आय-कर लगाया गया था, जिसका निर्धारण चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक सामान्य लाभांश के वितरण के आधार पर किया जाता था। ये कर से सम्बन्धित उपबन्ध इस विधेयक में सार रूप में वैसे ही हैं, जैसे वे वित्त अधिनियम, 1966 में थे। अतः वित्त अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत तथा इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत भी कम्पनी के कुल आय-कर पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अतिरिक्त आय-कर लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसका सम्बन्ध कम्पनी द्वारा वितरण की गई लाभांश की सम्बन्धित राशि से है।

अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं 21 नवम्बर, 1966 को इस सभा में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा घोषित कुछ ऐसे उपायों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनके द्वारा रुपये के अवमूल्यन होने के बाद कुछ उद्योगों को आय-कर में कुछ राहत दी गई थी। इस विधेयक में उन संशोधन को शामिल नहीं किया गया है जो ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने के लिए आय-कर अधिनियम में होने जरूरी हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल वर्तमान कर व्यवस्था को कायम रखना है और इसके उपबन्धों पर विचार करने के लिए सभा के पास समय भी सीमित है। ऐसा विचार है कि उन संशोधनों को मुख्य वित्त विधेयक द्वारा, जो मई, 1967 में पेश किया जायेगा, लाया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर की वर्तमान दरों को उनमें कतिपय रूपभेद करके और वार्षिकी जमा की

वर्तमान दरों को वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिए जारी रखने तथा उक्त वर्ष के लिए प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत कतिपय वचनों को जारी रखने और लवण पर प्रशुल्क को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पिल्लू मोडी (गोधरा): वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए यह आवश्यक था कि लेखानुदान में भी कुछ कटौती की जाती, परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि देश में भारी आर्थिक संकट होते हुए भी अपव्यय को समाप्त करने का कोई संकेत दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसके विपरीत अपव्यय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साधारणतया तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत बहुत अपव्यय हो रहा है। देश में जो भी अतिरिक्त बच पाता है, वह सरकारी क्षेत्र में, जो कांग्रेस सरकार के लिए गत 10-15 वर्षों से मनोरंजन का साधन बना हुआ है, लगा दिया जाता है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये विशेष अध्ययन के परिणामों की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे सिद्ध होता है कि पिछले 15 वर्षों में सरकारी कम्पनियों को उत्पादन की दृष्टि से 588 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और इसमें वह राशि शामिल नहीं की गई है, जो इस्पात उद्योग पर खर्च की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह घाटा लगभग 2000 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा। सरकारी क्षेत्र में जो अपव्यय किया जा रहा है, उसका जनसाधारण को इतना भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

दूसरा शीर्षक जिसके अधीन अन्धाधुंध खर्च किया जा रहा है, वह है सरकारी सेवाओं का। सरकारी विभागों में और सरकारी नौकरियों में अन्धाधुन्ध वृद्धि हुई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जिसके सभापति कुछ समय पूर्व तक स्वयं वर्तमान वित्त मंत्री थे, अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे, परन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है जिससे यह आभास हो सके कि सरकार खर्च में कुछ कमी करेगी। कांग्रेस सरकार का अधिक खर्च इसलिए भी होता है कि कुछ मंत्रालय केवल दल के असंतुष्ट गुट के सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए खोल दिये जाते हैं, जो कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की बजाय, कांग्रेस दल की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि मद्रास में जहां गैर-कांग्रेस सरकार है, केवल 8 मंत्रियों द्वारा सरकार चलाई जा रही है, और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार चलाने के लिए 28 मंत्रियों की आवश्यकता है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, गत वर्ष मंत्रियों की संख्या 57 थी। यह समझ में नहीं आता कि 57 मंत्रियों की क्या आवश्यकता है, जबकि विभिन्न राज्य सरकारें केवल 8 मंत्रियों से काम चला रही हैं।

तीसरा शीर्षक, जिसके अधीन अपव्यय हो रहा है, वह है भ्रष्टाचार और समाचारों का फूट निकलना। इसको परमिट-लाइसेंस व्यवस्था से, जिसे कांग्रेस सरकार पिछले 10-15 वर्षों से अपनाये हुए है, बढ़ावा मिल रहा है।

धन की इतनी अधिक बर्बादी किये जाने के बाद भी अर्थ-व्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्रों की हालत चिन्ताजनक है और उनके लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। वे हैं कृषि, परिवहन और संचार तथा विद्युत का क्षेत्र। वित्त मंत्री ने अभी कहा है कि कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। यह बड़ी खुशी की बात है। परन्तु पहले भी यह आश्वासन दिये जा

चुके हैं कि कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन उनको कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी यही आस्वासन दिये, परन्तु गत तीन पंचवर्षीय योजनायों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि उन्हें कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। कृषि, परिवहन, संचार तथा विद्युत को उन्नत करना सरकार का परम कर्त्तव्य है, परन्तु तथाकथित सरकारी क्षेत्र को धन देने के नाम पर इन क्षेत्रों पर यथोचित धन खर्च नहीं किया जा रहा है।

समाज कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत धन तो बहुत खर्च किया जा रहा है, परन्तु उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति दयनीय है। दुर्भाग्य से हम अपव्यय, अधिक कर, अधिक ऋण, घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा ऐसी ही अनेक वित्तीय व्यवस्थाओं के आदी हो गये हैं, जिनका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गत कुछ वर्षों से करों का ढांचा तात्कालिक वित्त मंत्री की रुचि के अनुसार ढाला जाता रहा है। देश की कर सम्बन्धी नीतियां चंचल हैं जो इस आशय से तैयार नहीं की गई हैं, कि भविष्य के लिए एक स्थिर कर व्यवस्था पैदा की जा सके। ऐसी परिस्थिति में व्यापारी और उद्योगपति कैसे अपने काम की योजना बना सकते हैं। सरकार योजना की बातें तो करती है, परन्तु सरकार की योजना इस प्रकार की है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावी योजना नहीं बना सकता।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री के कुछ समय पहले के उस वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सभा के सभी पक्षों से यह अपील की थी कि वे सहयोग दें। हम सहयोग देना चाहते हैं, परन्तु हम उनसे भी कुछ सहयोग चाहते हैं। उन्हें कम से कम हमारे परामर्श को ध्यान से सुनना चाहिए। सहयोग कभी इकतरफा नहीं हो सकता।

श्री हिमम्तसिंहका (गोड्डा) : महोदय, माननीय सदस्य श्री मोदी ने शिकायत की है कि सरकारी क्षेत्र पर बहुत धन लगाया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर काफी धन लगाया गया है और इनमें से कुछ उपक्रमों से अपेक्षित लाभ भी नहीं हुआ है। परन्तु यदि उनके कार्य में तेजी लायी जाये और उनका प्रबन्ध ठीक प्रकार से किया जाये तो उससे वह बोझ काफी हल्का हो सकता है, जिसे करों और अन्य तरीकों से डाला जा रहा है।

जहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा का सम्बन्ध है शिकायत का कोई कारण नहीं है। बहुत सी बीमारियों का जो देश में फैली हुई थीं, लगभग उन्मूलन किया जा चुका है। जीवन काल में वृद्धि हुई है तथा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

मैं समझता हूं कि काफी सीमा तक व्यय में कटौती करने की गुंजाइश है। इस प्रकार बचाये गये धन को कृषि और अन्य उद्योगों में सुधार लाने के लिये ठीक ढंग से लगाया जा सकता है जिससे ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सहायता मिलेगी जिनकी हमें सख्त जरूरत है और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मुद्रा बाहुल्य के प्रभाव से मुक्ति मिल जायेगी। इसलिये सरकार को कई मंत्रालयों में यथासम्भव व्यय कम करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिए और यदि विभिन्न

मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय में उचित समन्वय स्थापित किया जाये, तो व्यय में कमी की जानी सम्भव है ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लेखानुदान बजट में दिखाये गये लगभग 350 करोड़ रुपये के घाटे को घटाकर लगभग 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है । 31 मार्च को प्राप्त परिणाम से ज्ञात होता था कि लगभग 350 करोड़ रुपये का घाटा है, परन्तु भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन से यह सिद्ध होता है कि इस घाटे को घटाकर केवल 150 करोड़ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त इस व्यय में लगभग 100 करोड़ रुपये का वह खर्च भी शामिल है, जो उपसाधन तथा सामग्री की खरीद के लिये किया गया है । इसे व्यय नहीं समझना चाहिये, क्योंकि इसकी तुलना में तत्सम सम्पत्ति है । अतः वास्तविक घाटा जितना बजट में दिखाया गया है, उससे भी बहुत कम है । यह बड़ा अच्छा लक्षण है और मैं अनुभव करता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहिये, क्योंकि इस समय पूंजी की कमी के कारण कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है । देश में धन नहीं है और विदेशी पूंजी नहीं आ रही है तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो रहा है और कई उपभोक्ता वस्तुओं की कमी अनुभव की जा रही है । इसके विपरीत यह एक पहेली है । कुछ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, परन्तु उनके लिए ग्राहक नहीं है, जबकि कुछ के लिये सामान की कमी है । इससे लगता है कि देश की अर्थ व्यवस्था खराब दशा में है । लोगों के पास विभिन्न वस्तुऐं जिनकी कि उन्हें आवश्यकता है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और जो कुछ भी उनके पास है, वह अनाज की खरीद पर खर्च हो जाता है । इसलिये यह आवश्यक है कि लोगों की बचत को बढ़ावा दिया जाये और ऐसा केवल व्यक्तिगत करों और कम्पनियों के करों में भारी कमी करके ही किया जा सकता है । अतः व्यक्तिगत करों तथा कम्पनियों के करों में भारी कमी की जानी चाहिये, ताकि लोग धन की बचत कर सकें, उसे उद्योगों में लगा सकें तथा उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें । इसका अर्थ यह है कि खर्च कम करने की गुंजाइश है और कम्पनियो के करों तथा व्यक्तिगत करों को कम करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि सरकार खर्च कम करने के लिए उचित कदम उठाती है, तो उसे नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नये करों की गुंजाइश नहीं है । यदि ऐसा किया गया तो अधिक कठिनाइयां दूर होंगी और देश में आर्थिक प्रगति होगी ।

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कृषि को प्राथमिकता देनी होगी । यदि हमने अपने खाद्य उत्पादन को नहीं बढ़ाया तो हम भारी संकट में फंस जायेंगे । उद्योगों को भी बहुत से कृषि उत्पादों की आवश्यकता है । अतः मैं अनुभव करता हूं कि देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक सामग्री दी जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी ।

अतः मेरे विचार में उत्पादन वृद्धि के लिये आवश्यक वस्तुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिये । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

Shri Yagya Dutt Sharma (Amritsar) : After going through this Bill, I find that Congress Party has not learnt any lesson during the past 20 years. The present economic crisis

is the result of wrong policies pursued by the ruling party during these years. If radical changes are not brought in Government's policy the situation will go from bad to worse. It is high time that something is done in this regard.

If Government wants to encourage Swadeshi, they should take some practical steps in this direction. Simple slogans will not be of any use. We have ample man-power in our country. It should be utilised to the maximum. As far as possible automation should be avoided. Jan Sangh Party is not opposed to the use of machines. We are not opposed to foreign aid. We are opposed to that aid which has strings attached with it. The red-tapism is causing great harm. Our economy should be given a new deal. The deficit financing is not going to solve problems. The ruling party should change its policies.

The farmers should be provided all facilities, if we want to increase our food production. The demand of ban on cow slaughter is not a communal demand. It will help in improving our livestock. The farmers will get butter and ghee in plenty. We should adopt anational outlook for this. We should not allow ourselves to be under foreign pressure. The devaluation of rupee, it seems, was done under foregin pressure.

The borders areas of Punjab should be paid special attention. The farmers of Amritsar district should be assured that their land will be protected. In fact all the people of those areas should be given assurance of security. I request the Government that the Samadhi of Bhagat Singh in Ferozepore should be looked after by Central Government. We should make every endeavour to make parliamentary institutions in our country a success.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं वित्त मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं। प्रतिपक्ष वालों की आलोचना का कोई आधार नहीं है। हमारे देश में करों का अपवंचन बहुत अधिक होता है। विरोधी दल कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि इसका शासन अकुशल तथा भ्रष्ट है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में करों को ठीक प्रकार से इकट्ठा नहीं किया जाता। इन करों में कमी की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष करों से अधिक धन एकत्र किया जाना चाहिये। योजना के आकार में कमी होनी चाहिए।

इस बात में सन्देह नहीं है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत जटिल अवस्था में है। खेद की बात है कि इस अवस्था का दलगत विचारधाराओं के आधार पर विवेचन किया जा रहा है। हमें देश के हितों को सर्वोच्च ध्यान देना चाहिये।

मैं साम्यवादियों तथा उनके मित्रों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां कर की दरें केवल अधिकतम ही नहीं अपितु आय के प्रत्येक स्तर भी अधिकतम हैं। मैंने कर की इन दरों की तुलना समाजवादी पद्धति अपनाने वाले देशों, विकासशील देशों, तथा उन्नत देशों की कर की दरों से की है। ये दरें उन सब देशों से अधिक हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न अवकाश के बाद जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प०तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रधान मंत्री को दिये गये उपहार के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re. GIFT PRESENTED TO PRIME MINISTER

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Mr. Deputy Speaker, under direction 115, I would like to make a statement for correcting the statement of the Prime Minister.

On the 18th March, 1967 the Prime Minister made two contradictory statements in the Lok Sabha. First she said that "it is true that the king of Saudi Arabia presented a diamond necklace to her, but there are very strict and clear rules in respect of all such presents. We are not allowed to keep these presents and they are sent to the 'toshakhana'. As this was an expensive thing it was immediately deposited in the Reserve Bank of India." But within half a minute, when I asked her a question, she said that she did not know the date when it was deposited in the Reserve Bank ; it is not in her custody and she did not know who handed it over and at what time. Both the statements cannot be true. Either of the two is false.

On the one hand she said that expensive presents are sent to Toshakhana immediately and on the other hand she said that the necklace was not in her custody and she did not know when and through whom it was sent to the Reserve Bank of India. Both the statements cannot be true.

In the Rajya Sabha also the Prime Minister had stated on the 3rd December, 1966 that the King of Saudi Arabia had presented a diamond necklace to her which was deposited in the Reserve Bank of India at that very time. "Immediately" and "at that very time' are such words as does not admit of any delay.

The is something seriously wrong somewhere. Still I am maligned and called character-assassinator inside and outside the House. I did not make any allegations regarding this necklace. Whatever allegations are they have been levelled by the Prime Minister's own friends and I have only drawn some inferences and argument from them.

On the very day of 3rd December, Begum Anis Kidwai said in the other House that any gold or diamond necklace or other jewelleries presented to them were displayed at the residence of Panditji for a week or so which could be seen by everyone and thereafter they were sent to the treasury.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक देखा है जिनकी ओर डा० लोहिया ने ध्यान दिलाया है । राज्य सभा में श्री राजनारायण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के लगाये आरोप के उत्तर में मैंने बताया था कि यह उपहार मुझे काफी समय पहले मिला था, इस उपहार को रिजर्व बैंक में भेजने की तारीख का मुझे पता नहीं है ।

लोक सभा में जब डा० लोहिया ने मुझसे पूछा कि इस उपहार को रिजर्व बैंक में कब भेजा गया था तो मैंने बताया कि मुझे तारीख का पता नहीं है। यह उपहार मेरे पास नहीं है इसलिये मैं नहीं जानती हूं कि किसने और कब इसे रिजर्व बैंक में जमा करवाया था।

यह स्पष्ट है कि मैंने दोनों बार कहा कि मुझे तारीख का ठीक-ठीक पता नहीं है क्योंकि इस बात को हुए दस वर्ष का समय हो गया है। यह उपहार सउदीअरब के शाह ने नवम्बर/दिसम्बर, 1955 में अपनी भारत की यात्रा के समय दिया था। उपहार मिलने के तुरन्त बाद मैंने और मेरे पिताजी ने निश्चय किया कि इस उपहार को अपने पास न रखा जाये। उसके बाद मैंने इस उपहार को अपने पास नहीं रखा। अतः आप देखेंगे कि मेरे वक्तव्य न तो परस्पर विरोधी हैं और न ही गुमराह करने वाले।

मैंने इस मामले से सम्बन्धित पिछला रिकार्ड देखा है। उसे देखने से यह पता चलता है कि सऊदी अरब के शाह से मिले उपहार के बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी और मेरे पिताजी के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में इन वस्तुओं के निबटारे के बारे में एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी बीच श्री मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। रिकार्ड से पता चलता है कि प्रधान मंत्री ने 2 अप्रैल, 1958 को श्री मोरारजी देसाई को इस विषय में श्री कृष्णमाचारी से हुई बातचीत के बारे में लिखा था और अगले दिन प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा ये वस्तुयें वित्त मंत्रालय में भेज दी गईं। इन वस्तुओं का अन्तिम निबटारा रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक द्वारा किया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में मैं कह चुकी हूं कि निबटारे का ढंग, मूल्य आदि सम्बन्धी बातों में जाना उचित नहीं है। यदि विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के ऐसे ब्योरे बताए जायें तो उचित नहीं होगा। इससे विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, उनकी सरकारों तथा हमारे देश का मान कम हो सकता है।

डा० लोहिया ने बेगम अनिस किदवई के वक्तव्य का उल्लेख भी किया है। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहती हूं। यह वक्तव्य मैंने नहीं दिया था।

Dr. Ram Manohar Lohia : Rule 15 says :—

"अध्यक्ष वह समय निर्धारित करेगा जब कि सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिये या किसी और दिन के लिए या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिये स्थगित की जायेगी"

I therefore request that the House be now adjourned, as the Government has proved itself incompetent to rule the country.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने नियम पढ़ दिया है।

यहां पर पुरानी पद्धति को ध्यान में रखा जाता है। अध्यक्ष इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। जहां तक मुझे पता है कि अध्यक्ष ने इसका प्रयोग कभी नहीं किया है। मैं भी इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं।

श्री साल्वे अपना वक्तव्य आरम्भ करें।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह वक्तव्य तथा यहां पर अपनाई जाने वाली पद्धति से सम्बन्धित है। इस पद्धति को सदा के लिये व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग यहां पर सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए नहीं अपितु व्यक्तिगत आरोप के लिए किया जाता है। यह वक्तव्य नियम 357 के अन्तर्गत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस नियम के अन्तर्गत नहीं, अपितु नियम 115 के अन्तर्गत।

वित्त विधेयक 1967—जारी

FINANCE BILL 1967—Contd.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : साम्यवादियों का कहना है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष कर अधिक नहीं है जब कि अप्रत्यक्ष कर बहुत अधिक हैं जिनका भार निर्धन लोगों को वहन करना पड़ता है। उनका कहना है कि अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष कर होना चाहिये। साम्यवादियों का यह भी कहना है कि कर अधिनियम में दंड सम्बन्धी खंड कड़े होने चाहिए। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी अधिक कठोरता का बरताव करने से कर दाता को मामूली सी बात के लिए बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। उदाहरणार्थ, एक दस रुपये की आय को छिपाने पर कितनी ही राशि दण्ड के रूप में वसूल की जा सकती है।

स्वतंत्र पार्टी ने सुझाव दिया है कि वित्त मंत्री महोदय को प्रत्यक्ष करों के द्वारा राजस्व नहीं बढ़ाना चाहिए। यह सुझाव भी कोई ठोस नहीं है। वास्तव में आज हमें देखना यह है कि हम किस प्रकार उचित ढंग से कार्य कर सकते हैं। हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि एक अत्यन्त आधुनिक व्यावहारिक और गतिशील वित्तीय नीति बनाई जाये जिससे हमारा कानून और कर सुव्यवस्थित हो। इससे करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार की नीति अमरीका, जर्मनी, जापान, वेल्जियम आदि देशों में प्रयोग के तौर पर अपनाई गई जो अत्यन्त सफल साबित हुई। इस प्रकार की वित्त कोषीय नीति ने इन देशों को आर्थिक संकट के समय बचाया। अर्थ-व्यवस्था को अवरुद्ध स्थिति से निकालने के लिए करों की दर में कमी करना एक अत्यन्त प्रभावी कदम है। 1963 में अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति केनेडी के समय वहां पर अर्थ व्यवस्था संकट की स्थिति में थी। ऐसी स्थिति में श्री केनेडी ने सर्वप्रथम कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए दृढ़ कदम उठाया। उन्होंने व्यक्तिगत कर की दर 91 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत और नियमित क्षेत्र में 52 प्रतिशत से घटाकर 48 प्रतिशत कर दी। निस्संदेह यह विधेयक राष्ट्रपति केनेडी के बाद पारित किया गया, किन्तु यह विधेयक तैयार किया गया था राष्ट्रपति केनेडी द्वारा ही। इस कर व्यवस्था का परिणाम अमरीका की अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित हुआ।

इसके विपरीत भारत में करों की दर वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। यह सरकार द्वारा

81.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1966 में 89.375 प्रतिशत कर दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में अर्नजित आय की दर 74.75 प्रतिशत से बढ़कर 82.275 हो गई थी। करों की दर बढ़ाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि हम करों की वसूली अपने अनुमान से बहुत कम कर सके। मुझे आशा है कि नये आय-व्ययक के समय इस पहलू को ध्यान में रखा जायेगा कि करों की दर बढ़ाने से राजस्व में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है।

करों की उत्तरोत्तर बढ़ने वाली दरों का सिद्धान्त निस्संदेह एक बहुत ही ठोस सिद्धान्त है। किन्तु उत्तरोत्तर बढ़ने वाले करों में भी एक ऐसे बिन्दु पर रोक लगा दी जानी चाहिए जब कि इस दर से लाभ मिलना बन्द हो जाये। हम इस बिन्दु से बहुत आगे निकल चुके हैं जिसका परिणाम अनुत्साहक साबित हो रहा है। देश का राजस्व आशानुकूल नहीं बढ़ रहा है। देश एक दलदल में फंस गया है। वित्त मंत्री महोदय देश को इस दलदल से निकालें। यदि उन्होंने यह कदम नहीं उठाया तो कुछ समय पश्चात् हमारे लोकतंत्र की नींव इस हद तक खतरे में पड़ जायेगी कि उसे बचाना असंभव हो जायेगा।

श्री पी० सी० अदिचन (अडूर) : इस समय देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खाद्य स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। वित्त मंत्री महोदय को अन्तरिम बजट में कुछ दृढ़ कार्यवाही का संकेत देना चाहिए था किन्तु बजट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस तथा कांग्रेस सरकार उसी पुरानी नीति पर चलने के लिये कटिबद्ध है जिसके कारण आज देश इस गंभीर संकट का सामना कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने भूतकाल में जिन आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया है, उनसे भारत में एकाधिकार की शक्ति बढ़ी है और जन-साधारण को अत्यन्त कष्ठ उठाना पड़ा है।

कांग्रेस के पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में देश में आय विषमता बढ़ी है। धनी लोग अधिक धनी हो गये है और निर्धन अधिक निर्धन। धन कुछ ही लोगों के हाथों में चला गया है।

वस्तुओं की कमी के कारण, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण तथा करों के बोझ के कारण जन-साधारण का जीवन दूभर हो गया है। पन्द्रह वर्ष की योजनाओं की अवधि में देश में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। चौथे आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों को अस्वीकार कर दिया है। कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस को इस चुनाव में कुल डाले गये मतों का केवल 39 प्रतिशत मत मिले हैं। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जनता केवल राजनैतिक परिवर्तन ही नहीं चाहती, अपितु सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन चाहती है। अतः सरकार को जनता के हितों के प्रतिकूल अपनी नीतियों में परिवर्तन करके देश की मांग के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए।

[**श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Balraj Madhok in the Chair]

कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के बन जाने से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का एक नया रूप हमारे सामने आया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उनके वित्तीय साधन बढ़ाये जाने चाहिए। किन्तु यह खेद की बात है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों के प्रति वित्त मंत्री का दृष्टिकोण उपेक्षापूर्ण और निराशाजनक है। वित्त मंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे जमा राशि से अधिक राशि निकालने के बजाय अतिरिक्त कर लगाकर अपने वित्तीय साधन बढ़ायें। रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह राज्यों को जमा राशि से अधिक राशि न दे। इस प्रकार अनुशासन की आड़ में राज्यों को डराया जा रहा है। पहले भी राज्यों की कांग्रेस सरकारें जमा राशि से अधिक धन निकालती थीं। उस समय ऐसा कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं था। आज गैर-कांग्रेसी सरकारें बन जाने से इस प्रकार की बात कही जा रही है।

वित्त मंत्री महोदय राज्यों से और कर लगाकर साधन बढ़ाने की बात तो कह रहे हैं किन्तु उन्होंने यह बात ध्यान में नहीं रखी कि राज्यों में अतिरिक्त करों की गुजांयश बहुत कम है। जनता पर करों का और अधिक बोझ डाला गया तो जनता उसका विरोध करेगी। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध साधनों का केन्द्र और राज्यों के बीच उचित ढंग से पुनर्वितरण किया जाये। केन्द्र द्वारा राज्यों को अनुदानों के रूप में सहायता दी जानी चाहिए। जो राज्य अधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें जमा से अधिक निकाली गई रकम को चुकाने के लिए बाध्य न किया जाये। राज्यों के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए केरल आदि राज्यों द्वारा जमा से अधिक निकाली गई रकम को बट्टे खाते में डाला जाये।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के समूचे प्रश्न पर देश में हुए राजनैतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न की जांच करने के लिये केन्द्र कोई आयोग अथवा व्यवस्था स्थापित करेगा।

कांग्रेस सरकार अपने 20 वर्ष के शासनकाल और पन्द्रह वर्ष की योजनाओं की अवधि में खाद्य समस्या को हल नहीं कर पाई है। हम अभी खाद्यान्न के बारे में आत्म-निर्भर नहीं हो पाये हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिये कांग्रेस की गलत नीतियां ही उत्तरदायी हैं। देश का आर्थिक विकास करने के लिये सर्वप्रथम कृषि का विकास किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब तक कृषि में आमूल सुधार नहीं किये जायेंगे तब तक कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होगा। जब तक काश्तकारों को भूमि का स्वामी न बनाया जायेगा तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। कांग्रेस सरकार ने यह स्वीकार किया था कि काश्तकार को भूमि का स्वामी बनाया जायेगा किन्तु उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया।

राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने भूमि सुधार सम्बन्धी अपने घोषित कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया, यह दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कृषि उत्पादन पर जोर दिया है तथापि उन्होंने भूमि-सुधार की समस्या के इस पहलू का उल्लेख नहीं किया है।

कांग्रेस सरकार ने किसानों को सामान तथा वित्तीय सहायता देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के बजाय पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से बड़ी मात्रा में अनाज आयात किया है। इस प्रकार खाद्य समस्या हल करने की सरकार की यह नीति पूर्णतया असफल रही है। ऐसा कहा गया था कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किया गया अनाज देश में मूल्यों को स्थिर रखने तथा आयात स्थिति का मुकाबला करने के लिए बफर स्टाक बनाने में सहायक होगा। परन्तु इस समय न तो बफर स्टाक ही दिखाई देता है और न ही मूल्यों में कुछ कमी हुई है। मुनाफाखोर तथा जमाखोर लोगों की विपत्ति पर पनप रहे हैं। वित्त मंत्री ने अनाज के लिए अमरीका की लज्जापूर्ण निर्भरता को समाप्त करने का कोई वचन नहीं दिया है। दूसरी ओर उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि यह निर्भरता कई वर्षों तक रहेगी। यह उचित समय है जबकि लज्जापूर्ण पी० एल० 480 समझौते को समाप्त कर हमें अपने साधनों पर निर्भर हो इस समस्या को हल करना चाहिए।

केरल में अनाज की बहुत कमी है। 1964 में जब दक्षिण अनाज क्षेत्र समाप्त किया गया था तो केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य की अनाज सम्बन्धी मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी परन्तु सरकार अपने वचन पूरे करने में असफल रही है। केरल राज्य नकद फसलों द्वारा देश के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यदि नकद फसलों की बुवाई के स्थान पर खाद्य फसलों की बुवाई आरम्भ हो गई तो देश को विदेशी मुद्रा में हानि होगी। इसलिए केन्द्र सरकार को केरल की अनाज की समस्या के इस महत्वपूर्ण पहलू पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार केरल के साथ सभी मामलों में विशेषकर खाद्य के मामले में विवेदजनक नीति अपना रही है। केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को दी जाने वाली राज्य सहायता भी वापस ले ली है और राज्य सरकार को राशन पर दिये जाने वाले चावल का मूल्य बढ़ाने को कहा गया है।

केरल में काजू उद्योग में लगभग एक लाख व्यक्ति काम करते हैं। उनमें लगभग 75 प्रतिशत हरिजन तथा महिलाएँ हैं। कच्चे काजू के न मिलने के कारण यह उद्योग पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। कई कारखाने बन्द कर दिये गये हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि काजू उद्योग के ठोस आधार पर विकास के लिए वह काजू बोर्ड तथा काजू वित्त निगम स्थापित करे।

श्री मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : मैं अपने ग्रुप की ओर से सभा का ध्यान केन्द्र तथा राज्य के बीच उत्पन्न होने वाली वित्तीय जटिलताओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

चौथे आम चुनाव के पश्चात केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की शक्ति कम हो गई है तथा कुछ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें स्थापित हो गई हैं। इसलिए देश में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निर्धारित से अधिक राशि निकाल

ली है । मैं यह बताते हुये गर्व महसूस करता हूँ कि मद्रास राज्य ने बीस दिन के भीतर अधिक निकाली हुई समूची राशि जमा करायी है । केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री को उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिनसे विवश होकर राज्य सरकारों ने निर्धारित से अधिक धन निकाला था ।

प्र० मु० क० के सदस्य तथा देश के विवेकशील लोग चाहते हैं कि संविधान पर पुनः विचार किया जाये । एक समय प्र० मु० क० ने स्वतंत्र द्रविड़नाड की मांग की थी परन्तु अब इस मांग को सदा के लिए छोड़ दिया गया है । अब हम न तो पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं और न ही पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं । हम परस्परावलम्बन चाहते हैं । हमारी वर्तमान नीति यही है और हम इस नीति से नहीं हटेंगे । मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह स्थिति उत्पन्न न करें जिससे हमें स्वतन्त्र द्रविड़नाड की मांग को पुनः दोहराना पड़े ।

राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए । जब हमने आरम्भ में स्वतन्त्र द्रविड़नाड की मांग की थी तो हमारा आशय देश को दो अथवा तीन भागों में बांटना नहीं था अपितु राज्यों को अधिक शक्तियां दिलाना था । अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को ही दी जानी चाहिए । कुछ कर तथा प्रशुल्क जिनमें कुछ फेर बदल नहीं किया जा सकता केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राजनैतिक प्रलोभन के रूप में सौंप दिये गये हैं । इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य सरकारों को प्रत्येक चीज के लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है । देश के सार्वजनिक हित को देखते हुए इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं किया जाना चाहिए ।

वित्त मंत्री को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों को सुनिश्चित करना चाहिए ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I rise to welcome the Finance Bill. It is being said that Centre is doing more favour to the Congress Governments in States than non-Congress Governments. In this way the non-Congress Governments are trying to take more advantage. The Finance Minister should remain careful and should treat all the States at par.

It is wrong to say that voters have rejected the Congress. Strong opposition was needed in the country and the people have rightly elected more members of the opposition this time. Percentage of voters secured by Congress is very high.

The Finance Minister should pay more attention to develop the backward areas and regional imbalances should be done away with. Percapita income in some regions is even less than hundred rupee whereas in other areas it is more than four hundred rupees. Economic policies should be re-oriented to give priority to the backward areas.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): I am glad to see that salt tax is being removed.

No member of the Congress party has donated anything to the War Fund which was created after the Chinese attack. I have got this information from the concerned office.

Shri N. K. Salve (Betul): I rise on a point of order.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Dr. Ram Manohar Lohia: Let me complete my sentence.

I will not hesitate even to urge that everyone of us should come forward and persuade others to donate some percentage of their income to the Defence Fund.

Today the country is faced with a grave food crisis and some parts of the country are in the grip of famine and people are dying of starvation in the famine effected areas. The Centre as well as the State Governments should take immediate steps to face this grim situation. The Collection of land revenue should be suspended. Immediate steps should be taken to see that water is made available for irrigational purposes by digging wells, constructing canals and providing other possible means. Efforts should be made to grow short-term crops so that people could get something to eat as early as possible.

As regards the necklace presented to the Prime Minister by the King of Saudi Arabia, on 18th March, 1967, the Prime Minister had stated in the House that the necklace was immediately sent to the Reserve Bank of India. But today she said that the necklace was presented to her in November, 1955 and that it was sent to the Reserve Bank in 1958. Therefore, it is clear that one of the two statements that she has made is false.

Apart from necklace the question of mink coat is also there. According to its quality, the price of a mink coat ranges from Rs. 40 thousands to Rs. 6 lakhs. Even if it has been purchased the question arises as to when and how foreign exchange was sanctioned for it. If some foreigner had purchased it and given to the Prime Minister or if it had been purchased from him how did she get the custom clearance. These questions have to be answered.

In the end, I may, on behalf of the opposition, assure the House that we would be able to cater to the basic needs of the people and prove ourselves more useful and worthy than the Congress Government which is an embodiment of corruption, misrule and mal-administration in the country provided about 20 Members from the Treasury Benches crossed the Floor and formed a coalition.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bill has been introduced at a time when the country is faced with a serious economic situation. There is acute shortage of foreign exchange and the plans are in the doldrum. There are no signs of improvement in the present situation; perhaps it might deteriorate.

In the Third Lok Sabha when questions were asked about devaluation, it was assured that there would be no devaluation. But soon after, the Rupee was devalued and it was said that it would increase our exports and that the prices would not be effected. But neither of the two things has come out to be correct, on the one hand our imports have gone down by 9 per cent. and on the other prices are rising unabatedly.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

The Finance Minister had assured that people would not be asked to bear burden of

more taxes hereafter and an economic stability brought about. But we do not see any steps taken by the Government through this interim Budget to evolve a way to tide-over the present grim situation. It appears that the Ruling Party has not learnt any lesson from the election reverses and continued to follow the old economic policy which has only encouraged capitalism in the country. It is high time the Government adopt policies as will really benefit the people.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): The plight of common man in the country today is miserable. The economic condition of our country is bad. Our foreign debt obligations have been increasing. India is today under a very heavy debt. Then the Government have been resorting to deficit financing despite the fact that they have been promising not to do so. This time also, a deficit of Rs. 50 crores has been shown. The present trend it continued would not improve our economic condition and this policy might further deteriorate it.

Our national income has been falling and in 1965-66, it had gone down by 4.7 per cent. Percapita national income has also been on the decline. Devaluation has been one of the worst decisions of the Government. It has not helped to boost our exports. Rather our exports are falling and the trend continues.

There is nothing to say against any provision of the Bill before the House. However, a change in the existing Tax-Structure is necessary. The people are being crushed under heavy taxation. It is beyond the capacity of common man to bear this heavy burden which has resulted in a miserable plight. The whole tax-structure should be changed.

It is good that clause 5, like section 50 of the Finance Act, 1966, provides that salt shall be duty free for another year. The Finance Minister should make salt free from duty for all times to come.

Rebate which the Government used to give to exporters and manufacturers before devaluation should not be suspended even after 5th June, 1966 and this facility in the form of rebate should continue in future also.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी को उसके वर्तमान स्थान से हटाया जाना चाहिए। यह खेद का विषय है कि सरकार ने हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। हम गुलामी की मनोवृत्ति में इतने घुल गये हैं कि हम हर जगह अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं और उसके बिना चलना हमारे लिये कुछ असंभव-सा हो गया है। यह अच्छी बात है कि अब सदस्य संसद् में सभी भाषाओं में बोल सकते हैं। इससे हमें अंग्रेजी से, जो देश में विघटन का एक कारण है, छटकारा मिलेगा। अंग्रेजी का जारी रखना देश के हित में नहीं है। हमें हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये यथासंभव अधिक राशि खर्च करनी चाहिए।

देश में आज कई दलों की सरकारें हैं। सरकार को राष्ट्रीय नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए और उन्हें कायम रखना चाहिए।

श्री कार्तिक ओराओं (लोहारडगा) : इस समय सरकार भारतीय इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भी भेज रही है और विदेशों से भी तकनीकी विशेषज्ञ बुला रही है। इनमें से

केवल एक ही तरीका अपनाया जाना चाहिये। हमें या तो अपने इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजना चाहिये या विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञ बुलाने चाहिये। हमें विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञ कम संख्या में बुलाने चाहिये परन्तु उन्हें अधिक समय तक यहां पर रखना चाहिये।

मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर एक साथ कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं और काफी भद्दे आरोप लगाए जाते हैं जबकि अन्य देशों की संसदों में ये चीजें देखने को नहीं मिलतीं। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह बेलगाम हो और उसमें कानून का कोई दखल न हो। इस सभा की भी कोई आचार-संहिता होनी चाहिये अन्यथा इस सभा को नियन्त्रण में नहीं रखा जा सकेगा।

चीन और पाकिस्तान से भी अधिक बड़ा शत्रु भारतीयों की राष्ट्रीयता समाप्त करने की प्रक्रिया है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम भारतीय हैं और हमें कोई अभारतीय चीज नहीं करनी चाहिये, तब तक हम सम्भल नहीं सकेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ निष्पक्ष तथा उचित व्यवहार नहीं करेगी अथवा उनके आर्थिक या अन्य मामलों में हस्तक्षेप करेगी। केन्द्रीय सरकार के लिये सभी राज्य समान हैं और हमें आशा है कि राज्य भी केन्द्रीय सरकार के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे। हम सबको संविधान के अधीन कार्य करना है। यदि राज्य सरकारें अपने वित्तीय साधनों का इस प्रकार उपयोग करती हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता और वे केन्द्रीय सरकार से उतने धन की अपेक्षा करती हैं जो वह दे नहीं सकती तो उसके लिये उन्हें स्वयं व्यवस्था करनी होगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो धन केन्द्रीय सरकार के पास है उस पर उसका ही अधिकार होगा। केन्द्रीय सरकार के पास जो धन है वह सारे देश का धन है और पूरे देश के लिये ही उसका सदुपयोग किया जायेगा।

केन्द्र और राज्यों के बीच स्वस्थ तथा सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिये जैसे कि एक परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में किसी को भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये।

मैंने राज्यों से घाटे के बजट बनाने और जमा राशि से अधिक रकम निकालने की प्रवृत्ति को छोड़ देने के लिये कहा है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि विभिन्न राज्यों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जायेगी। केन्द्र को इस मामले में राज्यों से अधिक संयत और सतर्क रहना होगा और राज्यों के लिये एक आदर्श स्थापित करना होगा। केन्द्र राज्यों से ऐसी आशा तभी कर सकता है जब वह स्वयं उसका अनुकरण करे। यदि केन्द्र संविधान के दायरे में रहते हुए किसी राज्य की सहायता करता है तो ऐसा करना उसका कर्तव्य है। परन्तु यदि राज्य ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे पूरे देश के सामने कठिनाई उपस्थित होने और देश की अर्थ-

व्यवस्था के मलियामेट होने की आशंका हो तो केन्द्र उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।

केन्द्रीय सरकार यह प्रयत्न करेगी कि राज्य शक्तिशाली बनें क्योंकि अन्ततोगत्वा राज्यों की शक्ति ही केन्द्र की शक्ति होती है। परन्तु यदि राज्यों की ओर से केन्द्र को कमजोर बनाने के प्रयास किये जायेंगे तो वे स्वयं भी सबल न रह सकेंगे और कमजोर पड़ जायेंगे। दोनों को मिलकर एक दूसरे को शक्तिशाली बनाना होगा और यह तभी सम्भव है जब दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में संविधान के अधीन रहते हुए ठीक तरह से कार्य करें। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि केन्द्र और राज्यों के बीच ऐसे मतभेद उत्पन्न हो जायें जिन पर समझौता न हो सके। आपस में उत्पन्न होने वाले सभी मतभेदों को दूर किया जा सकेगा।

इस वित्त विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। इसलिये इस विधेयक में किसी नई नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिये अगले सत्र में पर्याप्त समय मिलेगा जबकि सारे वर्ष के बारे में वित्त विधेयक पेश किया जायगा।

यह कहा गया है कि यह सरकार अधिक दिन तक नहीं टिकेगी। मैं इस बारे में केवल यही कहना चाहता हूं कि चाहे यह सरकार रहे अथवा न रहे, इस देश की स्वतंत्रता हमेशा के लिये बनी रहे और यहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती चली जायें। हमें इस तरह से काम करते रहना चाहिये जिससे लोकतंत्री शक्तियों को बल मिले और वे कमजोर न पड़ने पायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर की वर्तमान दरों को उनमें कतिपय रूपभेद करके और वार्षिकी जमा की वर्तमान दरों को वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये जारी रखने तथा उक्त वर्ष के लिये प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत कतिपय वचनों को जारी रखने और लवण पर शुल्क को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों तथा संशोधनों पर साथ-साथ विचार करेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 3, 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4, 5, 7 और 8 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 3, 4, 7 and 8 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill

खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी ।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं यह बतला दूं कि यह विधेयक लोक सभा में पारित होने के पश्चात् राज्य सभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक अपने आप में बहुत छोटा है । इसको राष्ट्रपति द्वारा 23 दिसम्बर, 1966 को प्रख्यापित अध्यादेश संख्या 13 के स्थान पर लागू करने के लिए पेश किया गया है ।

सूती कपड़े और सूत की मांग धीरे-धीरे तथा नियमित रूप से बढ़ रही है । उद्योगों ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है । उद्योग की बढ़ती मांग के साथ-साथ ही कच्ची रुई का उत्पादन भी बढ़ता रहा है । परन्तु 1965-66 और 1666-67 में रुई की फसल दुर्भाग्य से कम होने के कारण इस उद्योग के लिये यह कठिन हो गया है कि वह देश की कपड़े की आवश्यकता पूरी करने के लिये औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग कर सके । लेकिन यदि 1966-67 में फसल सामान्य होती तो इस उद्योग के सामने चालू वर्ष में यह कठिनाई नहीं होती । इस वर्ष मौसम अनुकूल नहीं है और ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष भी रुई का उत्पादन नहीं हो सकेगा । कपड़े का उत्पादन करने वाले सभी औद्योगिक उपक्रमों को पूरी क्षमता से काम करने के लिये साल भर की रुई दी जा सके ।

[श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

इस कमी को पूरा करने के लिये हमने रुई का आयात बढ़ा दिया है। हमें आशा है कि चालू वर्ष में मिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम 800,000 से कुछ अधिक रुई की गांठों का आयात करेंगे। पिछले साल केवल 527,000 गांठों का आयात किया गया था। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इससे भी अधिक गांठें आयात की जा सकें। विश्व में भी रुई की स्थिति अच्छी नहीं है।

सभा को इस बात का भी ज्ञान है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की भी कमी है।

आयात के अतिरिक्त, सम्भरण की स्थिति को अधिक सुधारा जा सकता है यदि उपलब्ध कच्ची रुई को उचित दामों पर उत्पादक से उपभोक्ता तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाने और उसका सभी मिलों में समान रूप से वितरण करने के लिये जो उपाय किये गये हैं उन्हें दृढ़ता और साहस के साथ लागू किया जायेगा। सभा इस सम्बन्ध में लिये गये उपायों से अवगत है।

कुछ क्षेत्रों में यह सुझाव दिया गया है कि यदि सूत और कपड़े से नियंत्रण उठा लिया जाये तो उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। नियंत्रण उठाने के फलस्वरूप रुई का मूल्य बढ़ जायेगा और जो मिलें ऊंचे दामों में रुई खरीदने की स्थिति में नहीं हैं उनकी स्थिति और बिगड़ जायेगी। और इस प्रकार कुछ औद्योगिक उपक्रम बन्द हो जायेंगे और इसमें काम करने वाले कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। उपभोक्ता या तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे या उनके लिये उन्हें अधिक मूल्य देना होगा।

इस विधेयक के आधार पर रुई की सप्लाई बनी रहेगी और यह सम्भव हो सकेगा कि विभिन्न वर्ग समान रूप से त्याग करें। इससे कमजोर उद्योगों, श्रमिकों और जनता के हितों की रक्षा की जा सके।

उद्योगों के बन्द रहने से हुई हानि से मुझे पूर्ण जानकारी है। इससे उत्पादन में कमी हुई है, उद्योगों के लाभों में कमी हुई है और श्रमिकों को आधे दिन की मजदूरी की हानि हुई है। अब यह निश्चय किया गया है कि मिलें फिलहाल हफ्ते के बजाय हर दूसरे हफ्ते में एक और दिन के लिये बन्द रहा करेंगी।

जरूरतमन्द मिलों को रुई देने के लिये उचित अधिकतम कीमत पर रुई वसूल करने की जो कार्यवाही की गई है उससे जो बाजारों में प्रतिक्रिया हुई है उससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर मिलों को चालू रखने के लिये रुई की आवश्यक मात्रा उपलब्ध हो जायेगी। यदि यह आशा पूरी न हो सकी तो सरकार को मशीनों के काम पर रोक लगाने के लिये कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सूती कपड़े पर उत्पादन व्यय अधिक बढ़ जाने से सभी अवगत हैं। अब नियंत्रित कपड़ों

के मूल्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। परन्तु ऐसा करते हुए सरकार उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखेगी। इसलिये यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि परिवर्तित मूल्य में सूती कपड़े की उत्पादन लागत की पूरी वृद्धि शामिल कर ली जाये। हम आंकड़ों की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे निर्णय की घोषणा करेंगे जिससे उद्योग और उसके उत्पादों के उपभोक्ता, दोनों को ही उचित लाभ हो।

अधिनियम उत्पादन प्राप्त करने के लिये उत्पादकों को भी अपना माल स्वेच्छा से उद्योग को बेच देना चाहिये और प्रति एकड़ उपज बढ़ाने का अभी से प्रयत्न करना चाहिये।

सूती उद्योग के सामने कुछ ऐसी समस्यायें हैं जो दीर्घकाल से चली आ रही हैं। मेरा विचार है कि ऐसी समस्याओं और उनके समाधानों का अध्ययन एक विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिये।

परन्तु वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुए हम चाहते हैं कि देश में और अधिक तकुए फिलहाल न बढ़ाये जायें।

अध्यादेश द्वारा जो विशेष शक्तियां दी गई हैं, उन्हें केवल एक वर्ष के लिये इस आशय से जारी रखा जा रहा है कि बाजार में अगली फसल आ जाने पर इन असाधारण उपायों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इस आश्वासन को दोहराता हूं कि इस अवधि में भी सरकार इन प्रतिबन्धों पर विचार करती रहेगी और जैसे ही सप्लाई की स्थिति सुधरेगी इसमें ढील कर दी जाएगी या इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जायेगा।

इस पुराने उद्योग में कुछ कारखाने ऐसे हैं जो प्रायः समाप्त होने वाले हैं। जिस साल मांग अधिक होती है और सूत काफी सस्ता उपलब्ध होता है, वह उद्योग किसी प्रकार बच जाते हैं। दूसरे साल कार्य की कम क्षमता, सूत के ऊंचे मूल्यों, या कच्चे माल, या अधिक मजदूरी न देने के कारण और बाजार में उनके माल की तुलना में और अधिक क्षमताशील उद्योगों से होने के कारण, वे प्रायः समाप्ति पर हैं और कुछ वास्तव में बन्द हो गये हैं।

इस प्रकार स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। मुझे इसका ज्ञान है और मैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। हम भेदभाव की नीति नहीं बरत सकते और अस्थायी तौर पर उन उद्योगों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इससे मिलों के दूसरे मालिकों अथवा प्रबन्धकों को ऐसी मिलों से किसी न किसी बहाने अपना धन वापिस लेने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वे यह सोचेगें कि सरकार उनकी मदद करेगी। अतः यह नीति अपनाना प्रत्यक्ष रूप से उचित नहीं होगी। मेरे विचार से इसका दूसरा अधिक उपयोगी उपाय यह हो सकता है कि पहले हम उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े उद्योगों में नियंत्रिक हित हासिल करें और फिर सार्वजनिक धनराशि को उसके और अधिक विकास के लिये उसमें लगायें।

इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए 1964 के अधिनियम 47 द्वारा दी गई शक्तियों को

भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के मामले में संक्षिप्त जांच करने की शक्ति को केवल 31 दिसम्बर, 1966 तक ही सीमित रखा जा रहा है। हम इस शक्ति को 31 दिसम्बर, 1967 तक बनाये रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसमें बहुत से संशोधन हैं। मैं सभा के मत से ही इस विधेयक पर चर्चा के लिये समय नियत करूंगा।

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : चार घन्टे।

Shri Hukum Chand Kachwai (Ujjain): It is a matter of great importance and so at least four hours should be allotted for it.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : क्योंकि इस विधेयक को राज्यसभा को भेजना है अत: मेरा निवेदन है कि यह विधेयक 5 या 5.15 बजे तक पारित हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस विषय पर सब एक मत नहीं हैं। मेरे विचार से समय की अवधि 6.00 बजे तक होनी चाहिए।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : 6.30 बजे तक

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री एन० के० सोमानी (नागपुर) : सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग तथा अन्य उद्योग कायम रहेंगे। ताकि उनसे केवल भारतीय ग्राहकों को हर माल उपलब्ध न हो बल्कि हमें विश्व के बाजार में और निर्यात में, जिसको देश में इतनी आवश्यकता है, अपना सम्मानपूर्वक स्थान भी प्राप्त हो अत: मैं सरकार की प्रोत्साहन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति का समर्थन करता हूं। हमें केवल आज के निर्यात, श्रम स्थिति या धन की प्राप्ति के विषय में ही नहीं विचारना है बल्कि हमें 30 या 50 सालों के लिए नीति बनानी है। प्रत्येक समय हमें केवल अपने लागत के ढांचे तथा तकनीकी उन्नति की तुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें कम से कम संसार के उत्पादन-केन्द्रों के साथ समता लानी चाहिए अन्यथा हम निर्यात नहीं कर सकेंगे।

हम केवल कपड़ा उद्योग का उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने में ही रुचि नहीं रखते बल्कि हम सारे उद्योग का उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। आज जिस चीज की सबसे अधिक देश को आवश्यकता है वह है अधिक उत्पादन, अधिक कार्यक्षमता, उद्योग में अधिक परिश्रम, श्रम तथा अन्य इससे सम्बन्धितों द्वारा अधिक परिश्रम। कपास के उत्पादन में कमी के कारण

यदि कपास कपड़ा उद्योग को उपलब्ध नहीं की जा सकी और इसके फलस्वरूप आयात में कमी हुई है तो हम इस कमी के लिए कपड़ा उद्योग को दोषी नहीं ठहरा सकते ।

कपड़े के केवल 40 प्रतिशत उत्पादन पर ही मूल्य नियंत्रण हो सकता है और मूल्य वृद्धि से लागत कई गुणा अधिक हो गई है । कपड़ा उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिये हमें दीर्घकालीन उपायों के साथ-साथ अल्प-कालीन उपाय भी सोचने चाहिए । कपड़े की खड्डियां और कारखाने जितने बढ़ गये हैं उसके अनुपात में कपास का उत्पादन बहुत कम होता है । खेती के वैज्ञानिक उपायों को प्रश्रय नहीं दिया गया । कपड़ा मिलों को विशेष प्रोत्साहन देकर इस वस्तु के उत्पादन के लिये उत्साहित किया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ उन्हें तकनीकी प्रगति पर भी निर्भर करने के योग्य होना चाहिये । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि क्यों नहीं कर सके और हम कपास की किस्म में सुधार क्यों नहीं ला सके ।

हमने कपड़ा उद्योग को दूसरा स्थान दिया हुआ है । निश्चय ही हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा और पुराना उद्योग ही नहीं अपितु हमें इससे उत्पादन शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये मिलते हैं और इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है । इसलिए इस उद्योग का उस राजस्व पर, जो इस उद्योग द्वारा अर्जित किया जाता है, अधिकार होना चाहिये ।

उदाहरण के लिए मज़दूरी की स्थिति को लिया जा सकता है । महंगाई भत्ता लगभग दुगना हो गया है । इसी प्रकार कपास, बिजली और पूंजी की लागत में भी वृद्धि हुयी है । हमारे देश में तो एक बात पर ध्यान दिया जाता है और वह यह कि निर्यात बढ़ना चाहिए । निर्यात किन परिस्थितियों में बढ़ना चाहिये, लागत क्या है, इस उद्योग को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता ।

यह खेद की बात है कि कपास के व्यापारी, सूती कपड़े के उद्योग, सरकार और जनता में कोई तालमेल नहीं और यह बहुत ही बुरी बात है । सर्वप्रथम मंत्री महोदय को इन सबमें तालमेल बैठाना चाहिये क्योंकि यह कपड़ा उद्योग और राष्ट्र के हित की बात है ।

विचाराधीन प्रश्न यह है कि कपास को कैसे उपलब्ध किया जाये और क्या एक पखवाड़े में एक दिन मिलें बन्द रहनी चाहियें ? इस सम्बन्ध में सभी मिलों के बारे में एक नीति निर्धारित नहीं की जा सकती । हमें वे मिलें बन्द करनी चाहिएं जो एकदम पुरानी पड़ गई हैं । ऐसी मिलों को बन्द नहीं होना चाहिये जो निर्यात करती हैं और बहुत सक्षम भी हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : I welcome this Bill because it will somehow help the labour class. Our Essential Commodities Act should be amended as some additions and alterations therein have become necessary. It is not understood why this Act is not enforced in Jammu and Kashmir ? The purpose of that Act was to regulate the supplies, distribution and price structure but this purpose has not been served. The people thought that prices

of essential commodities **viz.** imported wheat, rice, Dalda etc. are fixed by the Government and they will be supplied to them at cheap rates but the fact is otherwise. The reason is that a few people have control over these industries and our administration is incapable of dealing with the whole affair. The result is that vested interests get their work done. The Government should ask for a report on the functioning of various controls imposed by them. This report will reveal that at the time of fixation of prices of commodities, the Government fixes them at high level because vested interests are capitalists and they can easily influence the officers of the Government. The result is that consumer continues to suffer. An enquiry should be held as to who has suffered most after the enforcement of this Act. Due to complicated rules and procedure small traders have been adversely affected, but on the other hand big industrialists never bother about these procedures.

The rate of sugar supplied by the Sugar Mills, Meerut is higher than the one supplied by Sugar Mills, Moradabad. As sugar quota of Delhi is supplied by Meerut, the consumer in Delhi has to pay Rs. one crore annually in excess. An enquiry should be held in this affair and the prices of sugar supplied by Meerut should be brought at par with that of Moradabad. There are 603 composite mills in India. These are Textile Mills and nearly nine and a half lakhs labourers are working there. A few months back several bales of cotton were purchased in black market. These bales are hoarded by big traders, industrialists or landlords. The controls are imposed but there is no machinery for procurement, with the result that things are hoarded. It has been noticed that the cultivators do not go for cotton crop because they do not get remunerative prices. There is scarcity of cotton in the Textile Industry, it is a different thing whether it is real or the same is artificial. I am not in favour of so many controls that could not be managed properly. The price of cloth is being increased by the Government. I am of the opinion that the duty on cloth should be reduced and general public should not be asked to pay more.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : कपड़ा उद्योग के इस संकट के लिये कपड़ा उद्योग को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता । यदि वर्तमान संकट में इस उद्योग ने उचित ढंग से काम किया होता तो सम्भवत: उसके सहयोग से वितरण की कठिनाई दूर हो सकती थी । मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार का विधेयक जम्मू और काश्मीर राज्य में भी लागू किया जाना चाहिये । क्या संवैधानिक तौर पर इस विधेयक में खण्ड 4-ख जोड़ना विधिमान्य है ? प्रस्तावित खण्ड 4-ख संविधान की भावना एवं मूल भूत अधिकारों के विरुद्ध है । इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी और औद्योगिक शान्ति स्थापित नहीं हो सकेगी । क्या इस मामले के संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया गया है । इस विधेयक में कहा गया है कि कोई कारखाना बन्द कर दिया जाना चाहिये तो सरकार उसे बन्द करने का आदेश दे सकती है । यदि उद्योग की बिना सहमति के सरकार कोई उद्योग बन्द करती है और उस क्षतिपूर्ति के लिये भी उद्योग से कहा जाता है तो यह बात क्षतिपूर्ति के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध होगी । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट हैं कि संसद् इस प्रकार का विधान बनाने में सक्षम है ।

श्री शान्ति लाल शाह (उत्तर पश्चिम बम्बई) : मेरे विचार में श्री चटर्जी इस तथ्य से अवगत हैं कि जबरी छुट्टी की अवधि में क्षतिपूर्ति के तौर पर आधी मजदूरी देने की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम में पहले से ही है यदि मालिक की किसी गलती के कारण कारखाना बन्द किया जाता है तो उसे अपने कर्मचारियों को आधी मजदूरी देनी पड़ेगी । यह

उपबन्ध उसी खण्ड का विस्तार मात्र है। मेरे विचार में इन उपबन्धों में कुछ भी असंवैधानिक बात नहीं है। मेरे विचार में इस अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम कारखाने बन्द होने चाहिए। मंत्री महोदय के इस कथन का मैं स्वागत करता हूं कि बजाय इसके कि कारखाने प्रत्येक शनिवार को बन्द किये जायें, वे वैकल्पिक शनिवार को बन्द किये जायें। तीन दिसम्बर से आज तक 17 दिन कारखाने बन्द रहे हैं जिनके फलस्वरूप 3,50,000 से 3,60,000 तक कपास की गांठों की खपत कम हुई है। इन गांठों को उपलब्ध भण्डार में जोड़ देना चाहिये। उद्योगों का काम इस प्रकार से चलना चाहिये कि वर्ष के अन्त में कुछ गांठें शेष बच जायें।

इन सब बातों के होते हुए भी मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें कि क्या इस सीमित सीमा तक बन्द रखा जाना भी टाला जा सकता है अथवा नहीं ? क्योंकि इस प्रकार कारखाने बन्द रहने से श्रमिकों की पर्याप्त हानि होती है। इसका समाधान यह है कि श्रमिकों को उनकी पूरी मजदूरी मिले। पहले ही मिलों पर क्षतिपूर्ति का आधा भार है। प्रस्ताव यह है कि कपड़ा मिलें क्षतिपूर्ति का समस्त भार वहन करें। कपड़ा उद्योग ने अभी-अभी पांच प्रतिशत बढ़ोतरी का भार वहन किया है और यदि उन पर और भार डाला गया तो बहुत-सी कपड़ा मिलें बन्द करनी पड़ेंगी। मिलों से पूरी क्षतिपूर्ति मांगना श्रमिकों के हित में नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो यह उद्योग ठप हो जायगा और उसके फलस्वरूप बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे।

इस समय कपास किसान के पास न होकर व्यापारी के पास है। यदि सरकार किसान को प्रोत्साहन देना चाहती है तो सरकार को वर्षा ऋतु के समय मूल्यों की पुनरीक्षण की घोषणा करनी चाहिये। इस समय ऐसा करने से किसान को लाभ न होकर जमाखोरों को ही लाभ होगा।

यदि सभी मिलें काम करती रहें तो भी इस समय कपास की 20,000 से 22,000 गांठों की प्रतिदिन की बचत होगी। कपास की नई फसल अक्तूबर में आनी आरम्भ हो जायगी और उसी समय सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी। मेरे विचार में वैकल्पिक शनिवार को भी मिलें बन्द नहीं की जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने कल बताया था कि सरकार संयुक्त अरब गणराज्य और सूडान से कपास का कुछ आयात कर रही है। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी मिलों को चला सकेगी। परन्तु अक्तूबर में यदि मिलें बन्द करना आवश्यक हो जाय तो आठ या दस दिन के लिए लगातार मिलों को बन्द कर देना चाहिये। इस कालावधि को श्रमिकों को सवेतन छुट्टी माना जाना चाहिए और फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत वे इस सवेतन छुट्टी के अधिकारी भी हैं। इसका परिणाम यह होगा कि श्रमिकों के वेतन में कमी नहीं की जायेगी।

इस प्रकार उद्योग पर अतिरिक्त भार न पड़ेगा क्योंकि कारखाना अधिनियम के अधीन उद्योग के श्रमिकों को 15 दिन की मजूरी देनी ही पड़ती है। इस प्रकार उद्योग को 10 दिन

की मजूरी श्रमिकों को देने के बाद भी उन्हें आर्थिक रूप से हानि न होगी तथा श्रमिकों को भी आर्थिक लाभ हो जायेगा। मंत्री महोदय को बचत, जो पहले ही की जा चुकी है, आने वाली फसल तथा आयात पर पुनः विचार करना चाहिए। मेरा अनुमान है कि ऐसा करने पर मिलों को बन्द करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। अतः विधेयक को पास किया जाना चाहिये, परन्तु इसके अधीन प्राप्त शक्तियों का यथावसर उपयोग किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री विश्वनाथन।

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसके बारे में मंत्री महोदय बहुत ही शीघ्रता कर रहे हैं। इसका सम्बन्ध लाखों श्रमिकों और बुनकरों के जीवन से जुड़ा है। मद्रास राज्य में तो मिलों के बन्द होने से श्रमिकों पर और अधिक विपत्ति टूट पड़ती है। हथकरघा बुनकरों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है। वहां पर 8 मिल पहले ही बन्द हो चुकी हैं तथा 19 मिल और बन्द होने जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप 8,000 श्रमिकों का काम धन्धा पहले ही छूट गया है और हजारों श्रमिक भविष्य में बेरोजगार हो जायेंगे। मिल मालिक एक दिन के बजाय कई रोज तक मिल बन्द कर देते हैं तथा श्रमिक वर्ग बेसहारा हो जाता है। सरकार को मिल खुलवाने के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

मद्रास राज्य में हथकरघा द्वारा तैयार किये गये कपड़े का लगभग 70 प्रतिशत कपड़ा निर्यात के योग्य होता है। मिलों के बन्द होने से हथकरघा बुनकरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक तो वे गरीब होते हैं, दूसरे सूत के दाम बहुत अधिक हैं और कताई मिलों के बन्द होने पर तो उन्हें सूत मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी हालत में वे बेरोजगार हो जाते हैं। उनमें गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिये सरकार को कुछ ठोस कार्य करना चाहिये। उन्हें कुछ प्राथमिकता दी जाये। मेरा तो यह सुझाव है कि किनारी वाली धोतियों और साड़ियों का काम हाथकरघा उद्योग के लिये नियत कर देना चाहिए तथा मिलों पर यह पाबन्दी होनी चाहिए कि वे धोतियाँ और साड़ियां न बनायें। निजी मिलों की अपेक्षा सहकारी कताई मिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आयात की अपेक्षा सरकार को अपने देश में कपास के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिए।

इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि मिल जितने दिन बन्द रहे, श्रमिकों को उतने दिन की मजूरी और भत्ता कुल मजूरी-भत्ते का 50 प्रतिशत दिया जाय। यह तो श्रमिकों के प्रति अन्याय होगा। उन्हें पूरी मजूरी और भत्ता मिलना चाहिए, चाहे मिल एक दिन के लिए ही बन्द क्यों न हो। सरकार को मिल पुनः चालू करवाने, हथकरघा बुनकरों को सूत देने और हथकरघा से तैयार कपड़े का अधिकाधिक निर्यात करने के लिये यथासम्भव प्रयास करना चाहिये। सरकार को लाखों मजदूरों की आवाज को अवश्य ही सुनना चाहिये, अन्यथा कांग्रेस की सरकारें एक दिन धराशायी हो जायेंगी।

सभापति महोदय : जो सदस्य मेरे पास नाम भेजें, वे अपने नाम के साथ अपने दल का

भी उल्लेख करें। जब सभापति बोल रहे हों, तब किसी भी सदस्य को नहीं उठना चाहिए। अपने पास लिखित सामग्री को बार-बार देखना या पूरे भाषण को पढ़ना भी वांछनीय नहीं है। श्री राणे।

श्री राणे (बुल्डाना) : गत 15 वर्षों के दौरान कपास-उत्पादकों के हितों की अवहेलना की गई है। सरकार ने सदा ही कपास-उत्पादक-विरोधी नीति अपनाई है। सरकार कपास का मूल्य बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। वर्ष 1952-53 से लेकर 1961-62 तक कपास का विक्रय मूल्य 820 रुपये प्रति टन रहा जबकि उसका क्रय मूल्य केवल 497 रुपये रहा जो उत्पादकों को मिलता था। पिछले 15 वर्षों में कपास का मूल्य केवल $1\frac{1}{2}$ गुना बढ़ा है जबकि अन्य वस्तुओं का मूल्य तिगुना या चौगुना बढ़ गया है। यही कारण है कि कपास उत्पादकों को उनके माल का उचित दाम नहीं मिलता और उन्हें कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता।

कपास उत्पादकों को हानि होने का दूसरा कारण यह है कि कपास के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य में बहुत अन्तर है। साथ ही मूल्य में उतार-चढ़ाव बहुत होता है। इस कारण उत्पादकों को केवल न्यूनतम मूल्य ही मिल पाता है। यदि सरकार वास्तव में कपास की कम सप्लाई की समस्या को हल करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित सुझावों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। पहला या तो अधिकतम मूल्य निर्धारित न किया जाये या अधिकतम मूल्य को 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया जाये। दूसरा न्यूनतम और अधिकतम मूल्य में अन्तर 50 रुपये से अधिक न हो।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अध्यादेश की आवश्यकता इसलिये पड़ी, चूंकि कपड़ा उद्योग में संकट आया हुआ था परन्तु मेरे विचार में यह संकट कृत्रिम संकट है और नवम्बर-दिसम्बर में हर वर्ष ऐसा होता है। यदि सरकार इस संकट को पार करना चाहती है तो उसे उपरोक्त सुझावों तथा नियंत्रण व्यवस्था पर गम्भीर रूप से विचार करना होगा।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Whenever Government are asked for finding out a solution of the present crisis facing the textile industry. Government say that there is no other alternative except the closure of the mills for two extra days in a month. I am against the closure of any mill for even a single day or hour. I along with Shri Dange, General Secretary of All India Trade Union Congress, expressed my views about closure to the Hon. Minister, because the substitute labour is not paid for the time of closure and thus they are put to financial loss. In this connection I would like to suggest that a thorough investigation should be conducted in the matter to know whether the crisis is artificial or not ; whether there is such a huge shortage of cotton, which has necessitated the closure of mills. In my opinion there is no shortage of cotton in our country, but cotton is dumped in stores of business magnates and big mill-owners. If that stock is taken out from them and distributed properly to all the mills, I assure you, Sir, that there will be no necessity of closing any mill for a single hour. If it is so why workers should be sacrificed on the altar of profit to mill-owners or capitalists. We would not allow this thing to happen.

I do not favour this suggestion that there should be block closure for 14 days in mills and these days should be adjusted the leaves of the workers they are entitled to have with wages and allowances. Because workers may be in need of leaves after the period of closure. I am of the opinion that there is no shortage of cotton in our country and mill-owners themselves do not want to run their mills for one or the other reason. Also they do not want that the mismanagement existing in their mills should be investigated. I also suggest that Government should take over the management of such mills and then show them that such mills are running on profit. For this purpose there should be a Textile Corporation like Life Insurance Corporation. If such a corporation is established, the existing crisis, if any, will be over, mill will be run efficiently and on the profit basis. Then there will not be need of closure at all. I am sure that such a corporation will succeed.

There is mismanagement of high order in several concerns. For example Shri Ram Rattan Gupta's Laxmi Rattan Cotton Mills. That mill was closed by the owner and about 6000 workers were made unemployed ; who are still jobless. Investigation into the affairs of this mill was carried by Shri Manubhai Shah and it was recommended in the Investigation Report that the said mill should be taken over by the Government. But it has not been taken over so far, because the owner of this mill is a big capitalist and carries a great influence on U. P. Congress Committee. Now I again request that the said mill should be taken over by the Government, so that 6,000 workers of the mill may again be in their jobs. I am in favour of setting up a Textile Corporation and gainst wage cut of any kind.

Shri K. G. Deshmukh (Amrawti) : Mr. Chairman, this Bill is brought with the intention of keeping the mills running which are likely to close. I welcome this Bill, but still I have some suggestion to give in this respect. Some speakers have advocated the cause of workers and some others have spoken in favour of mill-owners. They strongly pleaded that-mill owners should be given the help in order to enable them to run their mills. But I would like to advance the cause of cotton-producers. In the name of workers, cotton-producers should not be put to loss. Mill-owners earn a lot. So if they pay enhanced wages and allowances to workers, they will not be affected too much. The main thing is this that the mill-owners do not want to pay reasonable price of cotton to cultivators. There has been an increase of only 30 per cent in the prices of cotton, but the prices of cloth have been increased by three or four times. The cotton producers have to pay the prices of cloth three times more than what he receives for cotton.

There is a Textile Commissioner who wholly controls the textile industry. All the policies regarding cotton, cloth and control over textile are determined by the Textile Commissioner, who is stationed in Bombay and he is to a great extent influenced by mill-owners. Such policies always favour mill owners. That is why that the prices are continuously falling. There is a difference of Rs. 100/- in the floor price and ceiling price of a candy. Businessmen always purchase the cotton on floor price. Cotton-growers rarely receive ceiling price. Control over the movement of cotton is also responsible for it. Prices of cotton come down due to zonal restrictions. On the one hand the Government asks the cotton-producers to produce more cotton, on the other hand they are being ignored from every point of view. So I make an appeal to all concerned to look to the interests of cultivators also alongwith the cost of production of mill-owners.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं श्री दिनेश सिंह के इस तर्क का उत्तर देना चाहता हूं कि कपड़े का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि कपास का उत्पादन

उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है । इससे सदन को गुमराह किया गया है क्योंकि कपड़े का उत्पादन घटता जा रहा है । यह 1964 में 465 करोड़ मीटर था तथा 1965 में 459 करोड़ मीटर रह गया और 1966 में 424 करोड़ मीटर रह गया । साथ ही इस कम होते उत्पादन के लिए भी सरकार कपास नहीं दे सकी ।

क्या कपास के भंडार की स्थिति ऐसी खराब है कि मिलों को सप्ताह में बन्द करने की आवश्यकता है जैसा कि विधेयक में व्यवस्था है ?

मेरा विचार यह है कि देश में कपास की स्थिति ऐसी नहीं है कि मिलों को सारे वर्ष बन्द करने की आवश्यकता हो । कपास तो मिलती है परन्तु बड़े-बड़े व्यापारियों ने उसे छुपा रखा है । सरकार उसे पकड़ने अथवा बांटने के लिए तैयार नहीं है । परन्तु सरकार मजदूरों को मजबूर करती है कि वह अपना वेतन छोड़ें तथा उपभोक्ताओं को कपड़े का अधिक मूल्य देने पर मजबूर कर रही है । सरकार का कहना है कि उसने दिसम्बर 1966 में जो कार्यवाही की है उससे स्थिति में सुधार हुआ है । परन्तु ऐसा है नहीं । 1966 में कपड़े का औसत उपभोग 492,000 गांठ था । परन्तु सरकार की कार्यवाही के पश्चात् जनवरी में यह 4,50,000 तथा फरवरी में 4,18,000 गांठ हो गई । अब बताइये कि कहां सुधार हुआ है ? मजदूरों के वेतन को कम करने में तो वह उद्यत रहते हैं परन्तु उसके अधिकतम मूल्य की इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ।

फाल्तू भंडार का अर्जन करके सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने कुछ कार्यवाही की है । परन्तु ऐसी गंभीर स्थिति में भी सरकार सट्टे बाजार पर पाबन्दी लगाने को तैयार नहीं है । कपास के भंडार तो हैं परन्तु फिर भी वह मिल नहीं रहे हैं । फिर इस पाबन्दी का क्या लाभ है ? आपको सट्टे बाजारी बन्द करनी चाहिये ।

मिल मालिकों का कहना है कि उनका उत्पादन शुल्क कम किया जाये तथा करों में राहत दी जाये फिर वह उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर कपड़ा दे सकेंगे । उन्हें पहले ही 6 वर्षों में 300 करोड़ रु० दिये जा चुके हैं । लेकिन वह फिर भी और अधिक लाभ चाहते हैं ।

इसलिए सरकार को चाहिये कि इस विधेयक के उपबन्धों को वापिस ले सिवाय उस उपबन्ध के जिसमें कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना मिल बन्द नहीं किया जा सकेगा ।

हमारी यह मांग भी है कि कपास का इस समय निर्यात बन्द किया जाये, सट्टे के व्यापार को बन्द किया जाये तथा फाल्तू भंडारों को जब्त किया जाये और उन्हें उन मिलों में बांट दिया जाये जिन्हें उनकी आवश्यकता है तथा ऐसे मिलों को वित्तीय सहायता भी दी जाये और मिलों पर ध्यान रखने के लिए एक स्थायी आयोग कायम किया जाये । यदि आपने यह नहीं किया तो जनता आपको ऐसा करने के लिए विवश कर देगी ।

श्री काशीनाथ पांडेय (पदरौना) : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने इस मामले की गम्भीरता को समझा है जो कि उस मंत्रालय में उनके आने से पूर्व थी ।

इस समस्या के कारण श्रमिक दुःख उठा रहा है, कारखानों को क्षति पहुंच रही है तथा सरकार को भी लाखों रु० का घाटा ही उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि यह गंभीर समस्या है।

वर्षा न होने के कारण देश में कपास का उत्पादन कम हुआ। सरकार ने भी आयात में कमी की ताकि विदेश मुद्रा की बचत हो। कच्ची कपास का उत्पादन 1951 में 2.970 लाख था जो कि 1964 में बढ़कर 5.40 लाख हो गया। ऐसे ही आयात 1.10 लाख से घटकर 640 लाख हो गया।

मिलों को बन्द वाणिज्य मंत्री के ही मंत्रालय ने किया है न कि श्रम मंत्रालय ने। इस मंत्रालय को एक त्रिदलीय बैठक बुलानी चाहिये जहां यह विचार किया जाये कि मिलों को कुछ दिनों के लिये एक ही समय में बन्द किया जाये अथवा सप्ताह में एक दिन के लिए बन्द किया जाये क्योंकि इससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है। दूसरे कर्घों को सामान्य स्थिति उत्पन्न होने तक आगे बन्द किया जाये। तीसरे मंत्रालय को चाहिये कि कारखानों को कपास का बराबर वितरण हो। यह तो आपातकालीन कार्य होना चाहिये। सरकार को फिर देखना चाहिये कि दीर्घकाल के लिये इस समस्या को कैसे सुलझाया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Chairman, the Bill under consideration is worth throwing in the waste paper basket as it is not going to do any good. In the aims and objects of the Bill it is given that there will be compulsory closure of textile mills for one additional day per week. First of all I want to know whether this ordinance has been followed in the whole of India during the last few months? Is it not a fact that at Kanpur the mills of Padampat Singhania continued work for all the six days in a week. Same happened to some mills in Punjab. The Government should inform the House when it issues an ordinance whether the ordinance has been translated into action or not.

The Government raised the price of cotton by five per cent. to obtain cotton for production. I want to know as to who is getting this increased price? The peasant has not got this increased price. Only the stockists and capitalists have been benefitted by it. They have kept stocks for the last eight months.

The ceiling price is a farce as even the management of those mills which are in the possession of the Government under Industries Development Law have to buy cotton on higher price than the ceiling price. I have got proof for it.

I request to take into possession the cotton stock on control price from those who have hoarded the stocks of that. I want the Government to keep the floor prices so that peasants may not be put to loss but they should abolish the ceiling price as the latter is of no use now.

The Government has done nothing to take possession of the stocks of cotton. In the Textile Commissioner's office only the corrupt officials have made money.

The ex-Commerce Minister was dealing in some rackets, one of them was Export Promotion Scheme. He even authorised the Cotton Mill Owners Federation to charge fee and levy on the imported cotton. This authorisation was criticised even by the P. A. C. I want to know

what action was taken by the Government to punish those who were criticised by the P. A. C. ? We will not tolerate such illegal taxation to be charged by the capitalists.

In my opinion the drama of working the mills only for five days should end now. The Government can draw up a monthly average consumption of the last four to five months. The Government should not keep the mills closed for a day in a week. It can increase the counts in the mills. As a result of it the people were remain employed and the same cotton can be put to more use. The cotton should be distributed on controlled rate.

Is it a fact that Government bought cotton from Pakistan by paying more than the international rates of cotton? Why did not you buy cotton from U. A. R., Sudan and other East Africa countries? Your dealings with Pakistan are causing this nation much loss. Again I want the case of illegal livies pin pointed by the P. A. C. to be investigated.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): Mr. Chairman, bread, clothing and housing are the most essential things for life. But none of these things is available in this country now. The minister gave figures that the number of mills in our country was increased from 378 in 1951 to 514 in 1966. But it will be very difficult to run these mills on imported cotton. We should find an answer to this problem. The answer lies in the becoming self-reliant in food as well as in cotton. We can grow more cotton in cotton growing states such as Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra and U. P. The peasants are not given any incentive or even remunerative price for their produce. Hence I want a cotton corporation to be formed. Its aim should be to grow more cotton. There should be representatives of cotton growers, mill owners and Government. They can consider over matters regarding price of cotton and how to grow it more. It has been said here that there are stocks of cotton with hoarders. My information is that besides that there are stocks of cloth also with capitalists and they have given instructions to wholesale stockists to send it for sale only when the capitalist order them to do so. In this way the consumer has to pay more price. Now with the Hon. Minister's announcement the textile will cost more. It will benefit the mill owners, the labourers too will get 50 per cent. But the agriculturist will get only 5 per cent. I want some attention to be paid towards the cotton grower so that he may grow more.

Shri Dinesh Singh: Mr. Chairman, Shri Mohan Swarup just now suggested that there should be a cotton corporation. I think it is a good suggestion. But it is very difficult to be inplemented. The Government always gives its consideration to such matters.

We will also take into consideration the suggestions made by Shri Madhu Limaye.

श्री उमानाथ चाहते थे कि मैं अंग्रेजी में उत्तर दूं। ताकि वह समझ सकें। उन्होंने कहा है कि कपड़े का उत्पादन कम हो रहा है। परन्तु मेरे पास जो उत्पादन के आंकड़े हैं उससे तो उत्पादन कम होता नहीं प्रतीत होता। यदि वह इंडियन टैक्सटाइल बुलेटिन (जनवरी 1966, खंड 12, संख्या 10) के पृष्ठ संख्या 69 पर देखें तो पता चलेगा कि उत्पादन बढ़ रहा है क्योंकि 1962 में यह 380, 1963 में घटकर यह 368 रह गया परन्तु 1964 में यह बढ़कर 387 हो गया और 1965 में 382 था। ऐसे ही अर्जन के मामले में मेरे पास जो दी ईस्टर्न इकानामिस्ट के आंकड़े हैं उनके अनुसार जनवरी 1967 में 5,000 गांठ तथा फरवरी में यह 4,000 गांठ और अभी मार्च में यह बढ़कर 20,000 गांठ हो गया।

माननीय सदस्यों को यह समझ लेना चाहिये कि हम रुई के एकत्र करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं और मिलों को निर्धारित अवधि तक चलता रखने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की जायेगी। मैं श्री बनर्जी को आश्वासन देता हूं कि कानपुर की मिल के बारे में कोई अनियमितता नहीं होने दी जायेगी। इस बारे में विचार किया जा रहा है। इसके सरकारी क्षेत्र में लिये जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। रुई के एकत्र करने सम्बन्धी मशीनरी को और अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार जहां तक संभव हुआ, कपड़े का मूल्य नहीं बढ़ायेगी। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का बोझ न पड़े।

जहां तक मिलों के बन्द किये जाने का प्रश्न है यह न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में व्यवस्था है। इस कानून के जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी लागू किये जाने की मांग की गई है। इस बारे में हम राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं और हमें पूरे सहयोग के प्राप्त होने की आशा है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि कपास के उत्पादकों के हितों की रक्षा की जायेगी। हमने पिछले अक्तूबर में कपास के अधिकतम मूल्यों में वृद्धि की थी। हम आशा करते हैं कि कपड़ा उद्योग उन्नति करेगा और इसके निर्यात में वृद्धि होगी। हमारे देश में ही कपड़े की खपत बहुत अधिक है। उसके लिये हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी है। एक माननीय सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस उद्योग में नवीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया। वास्तव में उद्योग ने इस बारे में कोई कोशिश नहीं की है। बहुत सी मिलों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है परन्तु उन्होंने नवीकरण आदि की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उद्योग वालों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। मुझे आशा है कि इस संशोधन के पारित किये जाने में सम्पूर्ण सभा मुझे सहयोग देगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): I want to know whether Government would give assistance to the growers and remunerative prices would be given to them?

Shri Dinesh Singh: We are considering these matters in consultation with other concerned Ministries.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 1,2,7 तथा 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० रमणी (कोयम्बटूर) : मैं अपने संशोधन संख्या 3,4 तथा 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ : मैं अपने संशोधन संख्या 12 तथा 13 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1,2,7,3,4, 12 और 13 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 1, 2, 7, 3, 4, 12 and 13 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 3 सभा के समक्ष रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 तथा 5 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 10 and 5 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 5 को लेंगे ।

श्री उमानाथ : हमें अपने संशोधनों पर कुछ बातें कहने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । इसका सम्बन्ध लाखों मजदूरों से है । इस विधेयक पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर चर्चा के लिये माननीय सदस्यों को समय मिलना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैंने निर्धारित समय में बहुत से सदस्यों को अपने विचार प्रकट करनें का अवसर दिया है । अब मैं खण्ड 5 सभा के समक्ष रखता हूं ।

श्री उमानाथ : आप संशोधनों पर चर्चा के लिये समय को बढ़ाने के लिये सहमत नहीं हैं । इसके विरोध में मैं सभा भवन का परित्याग करता हूं ।

इसके पश्चात् श्री स० मो० बनर्जी, श्री उमानाथ, श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये ।

Shri S. M. Banerjee, Shri Umanath, Shri Indrajit Gupta and some other Hon. Members then left the House

सभापति महोदय : मुझे इन माननीय सदस्यों के सभा परित्याग करने पर खेद है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were then added to the Bill

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में नामांकन-पत्रों को रद्द किये जाने के बारे में

RE : REJECTION OF NOMINATION PAPERS IN JAMMU AND KASHMIR STATE

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से अपील करना चाहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष 6 चुनाव याचिकाएं लम्बित हैं। इनमें से कुछ संसद् सदस्यों से सम्बन्धित हैं ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को एकत्र होने के लिये मैंने बहुत समय दिया है परन्तु फिर भी गणपूर्ति नहीं है । अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die

Tej Kumar Press, Lucknow, 9-7-68.—600

P.L.S. 48. II. 17. 67. (N)
600

© 1967 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1967 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.